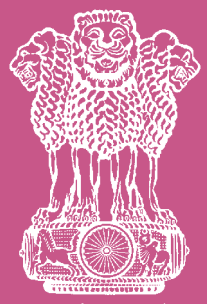

वार्षिक रिपोर्ट
2018–19

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2018–19

भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

Web- site : www.minorityaffairs.gov.in

विषय सूची

अध्याय सं	अध्याय शीर्षक	पृष्ठ सं.
	कार्यकारी सारांश	1–5
1	प्रस्तावना	6–10
2	प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम)	11–18
3	छात्रवृत्ति योजनाएं	19–20
4	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	21
5	नया सवेरा – नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	22–23
6	नई उड़ान	24
7	पढ़ो परदेश	25
8	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	26
9	हमारी धरोहर	27–31
10	नई मंजिल	32–35
11	उत्तर–पूर्व क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए योजना–वार बजट आबंटन	36
12	अल्पसंख्यकों हेतु कौशल विकास पहल	37–38
13	विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)	39
14	जियो पारसी–भारत में पारसियों की जनसंख्या में गिरावट को रोकने हेतु योजना	40
15	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना	41
16	आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक	42
17	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	43–44
18	वक़्फ प्रशासन, केन्द्रीय वक़्फ परिषद एवं राष्ट्रीय वक़्फ विकास निगम	45–50
19	दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर	51–52
20	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	53–56
21	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	57–60
22	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम	61–65
23	सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई	66–73
24	हज प्रबंधन	74–77

25	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	78
26	सरकारी लेखापरीक्षा	79
27	स्वच्छ भारत मिशन	80–81
28	ई–आफिस का कार्यान्वयन	82
29	नागरिक/ग्राहक का चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	83
	अनुलग्नक I से VI	84–93

कार्यकारी सारांश

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उपलब्धियां

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना 29 जनवरी, 2006 को की गई थी। इसे 6 (छह) अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन, जो भारत की आबादी का 19% से अधिक हैं, के कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने का अधिदेश दिया गया है। अक्तूबर, 2016 से मंत्रालय को हज यात्रा के प्रबंधन का भी अधिदेश दिया गया है।

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने शैक्षिक सशक्तिकरण; अवसंरचना विकास; आर्थिक सशक्तिकरण; विशेष जरूरतों को पूरा करने; और अल्पसंख्यक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अल्पसंख्यकों के विकास के लिए मंत्रालय ने बहु–शाखी रणनीति अपनाई है।

- मंत्रालय की कल्याण और विकास योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब और वंचित वर्गों पर केन्द्रित हैं। अधिकांश योजनाओं में पात्रता मानदंड आर्थिक आधार पर तैयार किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके लाभ गरीब और वंचित वर्गों तक पहुंचें।

- शैक्षिक योजनाएं सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों और उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने तथा अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करने के लिए सहायता देने को कवर करती हैं ताकि अल्पसंख्यक सरकारी और प्राइवेट नौकरियां प्राप्त कर सकें।

- ''स्किल इंडिया मिशन'' और ''मेक इन इंडिया मिशन'' के अनुरूप मंत्रालय ने नौकरी से जुड़ी अपनी ''सीखो और कमाओ'' योजना का सुदृढ़ीकरण और विस्तार किया है तथा पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के संरक्षण के लिए ''उस्ताद'' और अल्पसंख्यकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को कौशल से जोड़ने के लिए ''नई मंजिल'' नामक नई योजनाएं कार्यान्वित की हैं।

- ''नई रोशनी'' नामक विशेष योजना अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। अन्य विशेष कार्यक्रमों में पारसी समुदाय की घटती आबादी को रोकने के लिए ''जियो पारसी'' योजना है। भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए ''हमारी धरोहर'' योजना है।

- डिजीटल इंडिया अभियान के अनुरूप इन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में सीधे छात्रवृत्ति/वजीफा जमा किया जाता है (1) अल्पसंख्यकों के लिए मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्ति, (2) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, (3) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति, (4) अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, (5) पढ़ो परदेश–विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता, (6) नई उड़ान–संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता, (7) नई रोशनी। मंत्रालय की शेष योजनाओं के लिए पीएफएमएस एकीकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप्लिकेशनों के जरिए ऑनलाइन हज आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई और 50% से अधिक हज आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए गए।

मंत्रालय ने ई–ऑफिस मोड अपनाने के लिए भी कार्रवाई शुरू की है।

- मंत्रालय ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार हेतु विभिन्न मल्टीमीडिया अभियान चलाए हैं। इन अभियानों में मंत्रालय की विभिन्न चल रही योजनाओं के संबंध में लघु वीडियो क्लिप का दूरदर्शन नेटर्वक तथा निजी टीवी चैनेलों पर प्रसारण शामिल है। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के संबंध में निजी टीवी चैनल पर एक मिनट के वृत्त चित्रों का प्रसारण भी किया गया था। वर्ष 2018–19 के दौरान सोशल मीडिया अभियान तथा बाह्य प्रचार अभियान भी किए गए थे ताकि विभिन्न चल रही योजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय की कई पहलों को लोकप्रिय बनाया जा सके।

  'हुनर हाट' के आयोजन हेतु बाह्य प्रचार (i) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2018 (ii) सितम्बर, 2018 में इलाहबाद, (iii) अक्तूबर 2018 में पुडुचेरी, (iv) दिसंबर, 2018 में मुम्बई तथा (v) जनवरी, 2019 में बाबा खड़क सिंह मार्ग में किया गया है। 2018–19 के दौरान, राज्य सरकार (सरकारों), विश्वविद्यालयों, कालेजों/संस्थानों तथा पंजीकृत सिविल सोसायटियों की ओर से 796 दिनों (जिनमें 01 दिवसीय तथा 02 दिवसीय दोनों हेतु प्रस्ताव शामिल हैं) की कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों का आयोजन करने हेतु 360 प्रस्ताव प्राप्त हुए। 2018–19 के दौरान, सेमिनार (सेमिनारों)/कार्यशाला(कार्यशालाओं)/सम्मेलन(सम्मेलनों) का आयोजन करने के लिए व्यावसायिक प्रभारों के रूप में 941.77 लाख रु0 की निधियां जारी की गई।

- मंत्रालय ने 15 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2018 के पखवाड़े के दौरान ''स्वच्छता ही सेवा'' अभियान में भाग लिया। सभी फाइलों, पत्रिकाओं/ब्रोशरों की उपयोगिता का आंकलन करने का कार्य किया और सभी पुरानी अस्थायी फाइलों और अन्य ऐसे रिकार्डों की छंटाई का कार्य किया।

- मंत्रालय ने अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में 17 दिसंबर, 2018 से शुरु करते हुए पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। मंत्रालय द्वारा 17 दिसंबर, 2018 को स्वच्छता पखवाड़े पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंत्रालय के अधिकारियों की पांच टीमों ने 19 दिसंबर, 2018 से 26 दिसंबर, 2018 की अवधि के दौरान गुरुद्वारा बालासाहिब, उत्तर स्वामीमलय मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, फतेहपुरी मस्जिद और छत्तरपुर मंदिर का दौरा किया और प्रबंधन एवं एमसीडी स्टाफ के साथ संबंधित परिसरों में और उनके इर्द–गिर्द सफाई का कार्य किया।

31.03.2019 तक मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

❖ **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (जिसे पहले बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था),**

वित्तीय प्रगतिः वित्त वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 1320 करोड़ रु. का बजटीय आबंटन किया गया था। इस अवधि के दौरान 1551.54 करोड़ रु. के केंद्रीय शेयर वाली परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया था। मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पहली तथा बाद की किस्तों के रूप में 1153.64 करोड़ रु. की निधियां जारी कीं।

वास्तविक प्रगतिः वर्ष 2018–19 के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. डिग्री कॉलेज का निर्माण –13,

ii. छात्रावास का निर्माण –83,

iii. स्वास्थ्य परियोजनाओं का निर्माण –60,

iv. आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण –833,

v. अतिरिक्त क्लास–रूमों का निर्माण –3965,

vi. स्कूल भवनों का निर्माण –254,

vii. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण –18,

viii. सद्भाव मंडपों का निर्माण –88,

ix. मार्केट शेडों का निर्माण –36,

x. आवासीय स्कूलों का निर्माण –25,

xi. हुनर हबों का निर्माण –01,

xii. पालिटेक्निकों का निर्माण –02,

xiii. शौचालय इकाइयों का निर्माण –493

xiv. कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण–6

xv. स्मार्ट क्लास उपकरण–4318

❖ **मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना**

वर्ष 2017–18 के लिए 48.74 लाख मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 983.85 करोड़ रु. जारी किए गए हैं जबकि वर्ष 2018–19 के लिए 1250.81 करोड़ रु. राशि की 56.12 लाख छात्रवृत्तियों के संवितरण के लिए अनुमोदन दिया गया है (अनंतिम)।

❖ **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना**

वर्ष 2017–18 के लिए 6.21 लाख मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 369.01 करोड़ रु. जारी किए गए हैं जबकि वर्ष 2018–19 के लिए 405.75 करोड़ रु. राशि की 6.54 लाख छात्रवृत्तियों के संवितरण के लिए अनुमोदन दिया गया है (अनंतिम)।

❖ **मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना**

वर्ष 2017–18 के लिए 1.16 लाख मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 316.57 करोड़ रु. जारी किए गए हैं जबकि वर्ष 2018–19 के लिए 267.84 करोड़ रु. की राशि की 1.01 लाख छात्रवृत्तियों के संवितरण के लिए अनुमोदन दिया गया है (अनंतिम)।

❖ **मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना**

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, 1000 अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए

हैं और पात्र स्कॉलरों को अध्येतावृत्ति की राशि आगे संवितरित करने के लिए 97.85 करोड़ रु. की राशि यूजीसी को जारी की गई है।

❖ **निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना**

वर्ष 2018–19 के दौरान 10097 छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए और अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्ति की राशि संवितरित करने हेतु विभिन्न संस्थानों/संगठनों को 44.61 करोड़ रु0 का सहायता–अनुदान जारी किया गया है।

❖ **नई उड़ान**

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सहायता के अधीन 1182 अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 6.75 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

❖ **पढ़ो परदेश**

वर्ष 2018–19 के दौरान, पढ़ो परदेश योजना के अंतर्गत, विदेश में अध्ययनरत नए और नवीकरण श्रेणी के 8787 छात्रों के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता हेतु नोडल बैंक (केनरा बैंक) को 45 करोड़ रु0 जारी किए गए हैं।

❖ **''सीखो और कमाओ''**

2018–19 के दौरान 250.00 करोड़ रु. की राशि से 1,20,500 अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के मुकाबले पीआईए को प्रशिक्षण के लिए 51550 अल्पसंख्यक युवा आबंटित किए गए हैं। परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) को 175.73 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

❖ **विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)**

01.01.2018 से 31.03.2019 तक, ''उस्ताद'' योजना के अधीन पांच हुनर हाट नामतः इलाहाबाद, बाबा खड़क सिंह मार्ग (दिल्ली), आईआईटीएफ, दिल्ली, मुंबई और पुडुचेरी में आयोजित किए गए हैं।

❖ **अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना (नई रोशनी)**

2018–19 के दौरान 75816 महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए 13.83 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

❖ **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)**

01.01.2018 से 31.03.2019 तक, एनएमडीएफसी द्वारा 'सावधि ऋण' और 'लघु वित्त' के तहत 1,75,690 लाभार्थियों को 761.09 करोड़ रु. के ऋण प्रदान किए गए हैं।

दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 तक एनएमडीएफसी ने अपनी विपणन सहायता योजना के अंतर्गत एससीए के जरिए सात प्रदर्शनियों का आयोजन किया। जम्मू और कोलकाता में 2–2 तथा चण्डीगढ़, अहमदाबाद, कोहिमा में एक–एक।

❖ **जियो पारसी**

यह भारत में पारसियों की जनसंख्या में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। 2018–19 के दौरान चिकित्सा सहायता और पक्ष–समर्थन कार्यक्रम और समुदाय के स्वास्थ्य घटकों के लिए परजोर फाउंडेशन को 4.00 करोड़ रु. की निधियां जारी की गई।

❖ **हज**

विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करके निर्बाध और सुविधाजनक हज यात्रा सुनिश्चित की जा रही है। हज 2019 के लिए भारतीय हज यात्रियों का कोटा 1.75 लाख से काफी अधिक बढ़ाकर 2.00 लाख कर दिया गया है। पुरूष साथी के बिना महिला यात्रियों के लिए की गई विशेष व्यवस्था पर उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और वर्ष 2019 में इस श्रेणी में 2200 से अधिक महिला यात्री हज करेंगी।

❖ वर्ष 2018–19 के लिए बजट प्राक्कलन (बीई) 4700.00 करोड़ रु. है और संशोधित प्राक्कलन (आरई) स्तर पर भी इतना ही रखा गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान व्यय 3853.01 करोड़ रु. था। 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि में कार्यान्वयन के लिए मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर मंत्रालय की योजनाओं में उपयुक्त संशोधन किया गया है।

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से किया गया था ताकि छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिक्ख, पारसी और जैन से संबंधित मामलों पर और अधिक अभिकेन्द्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। जैन समुदाय को दिनांक 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचना के तहत छठे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में शामिल किया गया है। मंत्रालय का अधिदेश अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति तैयार करना और योजना, समन्वयन, मूल्यांकन, विनियामक एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करना है।

संकल्पना एवं मिशन

1.2 इस मंत्रालय की संकल्पना अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाना तथा हमारे राष्ट्र के बहु–जातीय, बहु–सांस्कृतिक, बहु–भाषायी एवं बहु–धार्मिक स्वरूप के सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थकारी वातावरण निर्मित करना है।

1.3 मिशन सकारात्मक कार्रवाई तथा समावेशी विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना है ताकि प्रत्येक नागरिक को सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदारी करने का समान अवसर प्राप्त हो, अल्पसंख्यक समुदायों हेतु शिक्षा, रोजगार, आर्थिक क्रियाकलापों में समान हिस्सेदारी को सुग्राही बनाना तथा उनका उत्थान सुनिश्चित करना है।

1.4 श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री का प्रभार संभाला हुआ है और डॉ. वीरेन्द्र कुमार अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री हैं। मंत्रालय के सचिव के कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए एक अपर सचिव, 3 संयुक्त सचिव तथा एक संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार हैं। मंत्रालय की स्वीकृत नफरी 121 अधिकारियों/कर्मचारियों की है और इस समय 79 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। मंत्रालय का पदधारिता विवरण **अनुलग्नक–I** पर तथा संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक–II** पर दिया गया है। हालांकि मंत्रालय के अधिकांश बहु–प्रकृति के कार्य इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, तथापि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधिकारियों/संगठनों द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है।

कार्यों का आबंटन

1.5 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 की दूसरी अनुसूची और उसके संशोधनों के अनुसार इस मंत्रालय को आबंटित किए गए विषय इस प्रकार हैं:–

i. अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विनियामक तथा विकास कार्यक्रमों पर समग्र नीति, योजना तैयार करना, समन्वय, मूल्यांकन तथा समीक्षा करना।

ii. कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले।

iii. केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए नीतिगत पहलें करना।

iv. भाषायी अल्पसंख्यकों तथा आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक के कार्यालय से संबंधित मामले।

v. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से संबंधित मामले।

vi. निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम, 1950 (1950 का 31), (अब निरस्त) के प्रशासन के अंतर्गत निष्क्रांत वक्फ़ सम्पत्तियों से संबंधित कार्य।

vii. एंग्लो–इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।

viii. विदेश मंत्रालय के परामर्श से 1955 के पंत–मिर्जा समझौते के अनुसार पाकिस्तान में गैर–मुस्लिम पूजा स्थलों और भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण करना।

ix. विदेश मंत्रालय के परामर्श से पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रश्न।

x. विभाग में निपटाए जा रहे विषयों से संबंधित परोपकार और धर्मार्थ संस्थान, धर्मार्थ एवं धार्मिक स्थायी निधियां।

xi. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सहित अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक संगठनों के सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक स्थिति से संबंधित मामले।

xii. वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) और केन्द्रीय वक्फ परिषद।

xiii. दरगाह ख़्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 (1955 का 36)।

xiv. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का वित्त पोषण।

xv. अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर।

xvi. अन्य संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित उपाय करना।

xvii. धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के मध्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग।

xviii. न्यायमूर्ति सच्चर समिति से संबंधित सभी मामले।

xix. अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम।

xx. अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कोई अन्य विषय।

xxi. हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 का 51) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोग सहित हज तीर्थ यात्रा का प्रबंधन।

राजभाषा का प्रयोग

1.6 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में भारत सरकार की सुविचारित राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक संयुक्त निदेशक (राजभाषा), एक सहायक निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ अनुवादक का एक पद और कनिष्ठ अनुवादक के तीन पद स्वीकृत हैं।

1.6.1 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासनिक रिपोर्टें तथा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए।

1.6.2 राजभाषा अधिनियम और इसके उपबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जांच बिंदु बनाए गए हैं।

1.6.3 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए मंत्रालय की सभी योजनाएं यथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, सीखो और कमाओ, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास हेतु नई रोशनी योजना, पढ़ो परदेश, हमारी धरोहर, उस्ताद, प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम, नई मंजिल योजनाओं आदि से संबंधित दिशानिर्देश राजभाषा हिंदी में भी प्रकाशित किए गए हैं।

1.6.4 मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी एवं समीक्षा के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। यह समिति नियमित आधार पर मंत्रालय में राजभाषा के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।

1.6.5 अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना काम हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने और हिंदी में मूल रूप में टिप्पण और प्रारूप तैयार करने, कंप्यूटर पर यूनिकोड का प्रयोग करने आदि के लिए उन्हें प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने हेतु हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

1.6.6 मंत्रालय में 14 सितम्बर, 2018 से 28 सितम्बर, 2018 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। मूल रूप से हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूप लेखन को बढ़ावा देने के लिए ''हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता'' का आयोजन किया गया। 34 पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इस वर्ष पुरस्कार की राशि में वृद्धि की गई।

तत्कालीन सचिव, अल्पसंख्यक कार्य श्री अमेयसिंग लुइखम हिन्दी पखवाड़ा, 2018 के विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए।

श्री एस.के. देव वर्मन, अपर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य हिन्दी पखवाड़ा, 2018 के विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए।

श्री जान-ए-आलम, संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य हिन्दी पखवाड़ा, 2018 के विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए।

हिन्दी पखवाड़ा, 2018 समारोह में उपस्थित अधिकारियों /कर्मचारियों को संबोधित करते हुए तत्कालीन सचिव, अल्पसंख्यक कार्य श्री अमेयसिंग लुइखम।

1.6.7 मंत्रालय की वेबसाइट को द्विभाषी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एनआईसी–सीएमएफ टीम का गठन किया गया और मंत्रालय की वेबसाइट अब द्विभाषी है। वेबसाइट पर सामग्री हिन्दी में उपलब्ध है।

1.6.8 हिन्दी की प्रगति का जायजा लेने के लिए संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 5 मई, 2018 को एनएमडीएफसी का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

1.6.9 मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सरल और सुगम बनाने हेतु

राजभाषा दिग्दर्शिका तैयार की है जिसमें अंग्रेजी–हिंदी शब्दावली तथा रोजमर्रा प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी–हिंदी वाक्यांशों को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है।

सतर्कता इकाई

1.7 श्री जान–ए–आलम, संयुक्त सचिव (वक्फ) ने मंत्रालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्य किया और मंत्रालय तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच लिंक का कार्य भी किया। सीवीओ मंत्रालय में संयुक्त सचिव (हज एवं वक्फ मामले) के रूप में अपने सामान्य कार्यभार के अलावा सतर्कता का कार्य भी देखते हैं।

1.7.1 सीवीओ को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

- मंत्रालय से संबंधित सभी सतर्कता एवं अनुशासनिक मामले।
- प्राप्त शिकायतों की जांच और उन पर समुचित कार्रवाई।
- शिकायतों के संबंध में जांच/पूछताछ/निरीक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ समन्वय करना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग से, जब कभी अपेक्षित हो, सलाह लेना।
- भ्रष्टाचार प्रवण संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना तथा इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों का समय–समय पर स्थानांतरण करना और इस प्रकार निवारक सतर्कता को प्रोत्साहित करना।
- सरकार के कार्यकरण में सत्यनिष्ठा, कार्यदक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि करना।

1.7.2 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 33 अधिकारियों के सतर्कता क्लीयरेंस जारी किए गए।

1.7.3 सतर्कता अनुभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयां:

- संवेदनशील प्रकृति के अभिज्ञात क्षेत्रों पर निगरानी रखना।
- मंत्रालय में औचक सतर्कता निरीक्षण कर सकता है।

बजट

1.8 वर्ष 2018–19 के लिए इस मंत्रालय को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 4700.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी जो 2018–19 के संशोधित अनुमान में भी बनाए रखी गई। बजट अनुमान, संशोधित अनुमान 2018–19 और 31.03.2019 तक वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–III** में दिया गया है।

अध्याय–2

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)

सिंहावलोकनः

2.1 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) जिसे पूर्व में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के रूप में जाना जाता था, नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास एजेंडा के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण योजना के रूप में अभिज्ञात केंद्रीय प्रायोजित योजना है। एमएसडीपी योजना का शुभारंभ 2008–09 में किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं के लिए परिसम्पत्तियां विकसित करना था। यह योजना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में मुख्यतः अन्तराल को पूरा करके और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से किसी भी योजना द्वारा कवर न किए गए अभिज्ञात क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुशंसित नवाचारी परियोजनाओं के माध्यम से असंतुलनों को कम करती है। एमएसडीपी योजना को 14वें वित्त आयोग की बकाया अवधि अर्थात 2019–20 तक, के दौरान पीएमजेवीके के रूप में जारी रखने के लिए जून, 2013 में और मई, 2018 में इसकी पुनर्संरचना की गई।

2.2 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचान अल्पसंख्यक आबादी (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी) की बहुलता अर्थात् 25% या अधिक के आधार पर की जाती है। उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में जहां कोई एक अल्पसंख्यक समुदाय बहु–संख्या में हैं, वहां उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बहुसंख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के 15% के न्यूनतम कट–ऑफ को अपनाया जाता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय औसत की तुलना में सामाजिक–आर्थिक तथा मूलभूत सुविधा मापदंडों के संदर्भ में क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पिछड़ेपन के मापदंड लागू किए जाते हैं। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (एमसीए) की पहचान के मापदंड 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित हैं। योजना के अंतर्गत परियोजनाएं अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु स्वीकृत की जाती हैं किंतु कैचमेंट क्षेत्र में रह रही अन्य आबादी को इससे अलग नहीं रखा जाता है।

2.3 एमएसडीपी कार्यक्रम आरंभ में देश के 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में शुरू किया गया था। तथापि, कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रों के रूप में अल्पसंख्यक बहुल जिलों के स्थान पर अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी), अल्पसंख्यक बहुल नगरों(एमसीटी) तथा अल्पसंख्यक बहुल ग्रामों (एमसीवी) के समूहों को प्रतिस्थापित करते हुए वर्ष 2013–14 में योजना का पुनर्गठन किया गया।

2.4 राज्य स्तरीय समिति द्वारा विचार एवं सिफारिश किए जाने के उपरांत परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अधिकार–प्राप्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। इन परियोजनाओं के वित्तपोषण में केंद्र तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा हिस्सेदारी की जाती है।

2.5 योजना के अधीन स्कूल/कॉलेज भवन, अतिरिक्त क्लास रूम, शौचालय ब्लॉकों, छात्रावासों, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, स्कूलों में प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर कक्ष, स्मार्ट क्लासों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), स्वास्थ्य उप केंद्रों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास, पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं, सद्भाव मंडपों, मार्केट शेडों आदि के निर्माण और उन्नयन जैसी परियोजनाओं को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2.6 **कार्यक्रम का विशेष बल :**

(i) इस कार्यक्रम के अधीन संसाधनों का कम से कम 80% शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए आबंटित करना।

(ii) संसाधनों का कम से कम 33–40% महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आबंटित किया जाना।

2.7 **क्षेत्र कवरेज :**

पीएमजेवीके के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र में 109 एमसीडी मुख्यालय, 870 एमसीबी तथा 321 एमसीटी शामिल हैं। एमसीए की सूची मंत्रालय की वेबसाइट **www.minorityaffairs.gov.in** पर उपलब्ध है।

2.8 **वित्तपोषण का तरीका :**

परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के बीच सभी राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं पर्वतीय राज्यों (जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड) के लिए 90:10 के अनुपात में निधियों की हिस्सेदारी की व्यवस्था पर कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार का निधियों का हिस्सा 50% प्रत्येक की दो किस्तों में जारी किया जाता है (नवाचारी परियोजनाओं के मामले में 30%, 30% तथा 40% की तीन किस्तें)। दूसरी किस्त तथा बाद की किस्त पूर्ववर्ती किस्त के उपयोग होने पर तथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सदृश शेयर के जारी किए जाने पर जारी की जाती है।

2.9 **कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां :**

पीएमजेवीके के अंतर्गत एक विशेष पहल के रूप में, केंद्र सरकारी विभागों/संगठनों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/उपक्रमों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा सशस्त्र पुलिस बल जैसे अन्य संगठनों द्वारा भी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों से प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रस्ताव राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से सलाह मशविरा करके/सलाह मशविरा किए बिना प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

2.10 **निर्माण के लिए भूमि :**

एमसीए में अवसंरचना के निर्माण के लिए भूमि, पंचायत भूमि सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाएगी। तथापि, स्थानीय जरूरत के आधार पर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संगठनों की भूमि, केंद्र सरकार की एजेंसियों की भूमि, वक्फ भूमि या संबंधित प्राधिकरण/बोर्ड द्वारा पेशकश की गई अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों, छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की इसी प्रकार की भूमि जो किसी पट्टा राशि से मुक्त

हो/नाममात्र राशि पर हो, पर प्रस्तावित योजनाओं पर भी एक विशेष अवधि के लिए पट्टा आधार पर विचार किया जाएगा।

2.11 मॉनीटरिंग प्रणाली

पीएमजेवीके के अंतर्गत परियोजनाओं की मॉनीटरिंग हेतु एक सुदृढ़ तंत्र विद्यमान है। जिला स्तरीय समिति, ब्लॉक स्तरीय समिति तथा राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से पीएमजेवीके परियोजनाओं को मॉनीटर किया जा रहा है। यह मंत्रालय परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति तथा उन्हें चालू किए जाने की प्रगति की सतत रूप से समीक्षा करता है। ये समीक्षाएं अधिकार–प्राप्त समिति की बैठकों के दौरान राज्य प्राधिकारियों के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लिखित पत्रों के माध्यम से, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ सम्मेलनों/बैठकों/विचार–विमर्शों के माध्यम से, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दौरों आदि के माध्यम से की जाती हैं। ऑनलाइन मॉनीटरिंग मॉड्यूल, जियो टैगिंग, डीआईएसएचए, डैशबोर्ड को शामिल करके मॉनीटरिंग प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया गया है।

2018–19 के दौरान, पीएमजेवीके संबंधी अधिकार प्राप्त समिति की 15 बैठकों का आयोजन किया गया तथा अधिकार–प्राप्त समिति द्वारा 18 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, केरल, सिक्किम) के एमसीए में स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति की समीक्षा की गई।

2018–19 के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों तथा पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा सिक्किम राज्यों हेतु दिनांक 05.10.2018 को गुवाहाटी में क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन असम के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और इसमें प्रतिभागी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

गुवाहाटी, असम में आंचलिक समन्वय बैठक

असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल द्वारा आंचलिक समन्वय बैठक का शुभांरभ

माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नक़वी द्वारा बैठक को संबोधित किया गया

2.12 प्रोग्रेस पंचायतें

अल्पसंख्यकों के लिए केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वन की समीक्षा तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के बारे में स्थानीय लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय ने समाज के वंचित तबकों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने तथा सरकार द्वारा उनके कल्याण एवं सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नई पहल के तौर पर 'प्रोग्रेस पंचायत' जैसा कार्यक्रम आयोजित करना आरंभ किया है। केंद्र और राज्य के सरकारी अधिकारी

एवं मंत्री तथा स्थानीय लोग एक ही मंच पर आकर परस्पर वार्ता करते हैं तथा अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन तथा की गई कार्रवाइयों पर चर्चा करते हैं। लोगों से सीधे फीडबैक और सुझाव प्राप्त किए जाते हैं। 'प्रोग्रेस पंचायत' का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना है और केंद्र सरकार की ''सबका साथ, सबका विकास'' तथा ''अंत्योदय'' (विकास भी, विश्वास भी) की प्रतिबद्धता को पूरा करने और बढ़ावा देने के लिए ज़मीनी रिपोर्ट तैयार करना है। केंद्र सरकार ने 'प्रोग्रेस पंचायत' के माध्यम से विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए मंजूर किए गए सभी कार्यों को तेजी दी है, जो अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए 'मील का पत्थर' साबित हुआ है।

इन प्रोग्रेस पंचायतों में, अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मूलभूत अवसंरचना के निर्माण से संबंधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) योजना बहुत लोकप्रिय हो गई और विशेषकर सद्भाव मंडप जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शौचालय की सुविधा वाले बहुद्देशीय सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करेंगे और जिनमें शिक्षा एवं कौशल विकास, आपदा राहत, जागरूकता अभियान, खेल सुविधा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समागम और ऐसे अन्य कार्यक्रमों की सुविधाएं होंगी।

अब तक, हरियाणा, उत्तराखंड, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई अल्पसंख्यक बहुल जिलों को कवर किया गया है। हरियाणा और उत्तराखंड में अब तक आयोजित विभिन्न प्रोग्रेस पंचायतों में अल्पसंख्यक समुदायों की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही हैं, जिसमें भारी जनसमूह ने शिरकत की और जिसकी आम आदमी और मीडिया द्वारा भरपूर सराहना की गई।

मंत्रालय ने 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए विभिन्न योजनाओं का पुनर्गठन करते समय उनमें विशेषकर तत्कालीन बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) जिसे अब प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कहा जाता है, में और सुधार लाने के लिए प्रोग्रेस पंचायतों के दौरान प्राप्त फीडबैक पर विचार किया।

माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित प्रोग्रेस पंचायतों में

2.13 पीएमजेवीके/पूर्ववर्ती एमएसडीपी के अंतर्गत उपलब्धि शुरुआत से:

योजना की (शुरूआत से) वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क. **वित्तीय प्रगति:** इसके आरंभ से ही कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कुल 10,914.47 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन उपलब्ध करवाया गया था। इस आबंटन के मुकाबले मंत्रालय द्वारा 12,990.51 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर के साथ राज्यों की योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया था तथा पहली तथा बाद की किस्तों के रूप में 9,848.11 करोड़ रुपए जारी किए गए। राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–IV** पर हैं।

ख. **वास्तविक प्रगति:** आजतक स्वीकृत परियोजनाओं में अग्रलिखित शामिल हैं; डिग्री कॉलेज–30, स्कूल भवन–2246, पक्के मकान–348624, स्वास्थ्य केंद्र–4509, आंगनवाड़ी केंद्र–39586, पेयजल सुविधा–11767, हैंडपम्प/ट्यूबेल–59834, अतिरिक्त क्लास रूम–41088, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान–188, पालिटेक्निक संस्थान–50, छात्रावास–1230, इत्यादि। राज्य–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–V** पर हैं।

ग. जनवरी 2018 से मार्च 2018 की तिमाही के दौरान, 376.32 करोड़ रु0 की राशि जारी की गई थी। इस अवधि में अनुमोदित की गई मुख्य परियोजनाओं में ये शामिल हैं:–छात्रावास–38, आंगनवाड़ी केंद्र–26, अतिरिक्त क्लास–रूम–123, स्कूली भवन–46, सद्भाव मंडप–10, मार्केड शेड–58, आवासीय स्कूल–9, स्मार्ट क्लास–464, शौचालय–38।

2.14 **2018–19 में उपलब्धियां :–**

क. **वित्तीय प्रगतिः** वर्ष के दौरान 1551.54 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर वाली राज्यों की परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दिया गया था। वर्ष 2018–19 के दौरान 1153.64 करोड़ रुपए की राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई थी जिसमें वर्ष 2018–19 में अनुमोदित परियोजनाओं की पहली किस्त और पिछले वर्षों के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं की बाद की किस्त शामिल थी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–IV** पर है।

ख. **वास्तविक प्रगतिः** वर्ष 2018–19 के दौरान अनुमोदित मुख्य परियोजनाओं में अग्रलिखित शामिल हैंः डिग्री कॉलेज–13, छात्रावास–83, स्वास्थ्य परियोजनाएं–60, आंगनवाड़ी केंद्र–833, अतिरिक्त क्लास रूम–3965, स्कूल भवन–254, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान–18 सद्भावना मंडप–88, मार्केट शेड–36, आवासीय स्कूल–25, हुनर हब–01, पालिटेक्निक–02, स्मार्ट क्लास उपकरण–4318, शौचालय यूनिट–493 और कामकाजी महिला हॉस्टल–06। राज्य–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–VI** पर हैं।

राजकीय कन्या इन्टर कॉलेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश

राजकीय कन्या इन्टर कॉलेज, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–3

छात्रवृत्ति

यह मंत्रालय केन्द्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित तीन छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:–

(i) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना;

(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना; और

(iii) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना।

इन छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का एक नया एवं नवीकृत रूपांतरण 2016–17 के दौरान आरंभ किया गया है। इस मंत्रालय की उपर्युक्त सभी छात्रवृत्ति योजनाएं इस पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। छात्रवृत्तियां प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तरीके से विद्यार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाती हैं।

(i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

3.1 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना 30 जनवरी, 2008 को अनुमोदित की गई थी। यह केन्द्र सरकार के 100% वित्त–पोषण वाली केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना है। भारत में किसी सरकारी/मान्यता–प्राप्त प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जिन्होंने पिछली परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं और जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वे योजना के अंतर्गत मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत, नवीकरण के अलावा प्रत्येक वर्ष 30 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 30% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं। प्रत्येक चुने गए छात्र को 1000/– रु. से 10,700/– रु. तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

3.2 चौदहवें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान लगभग 165.00 लाख नई और नवीकरण छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 2,920.92 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया था। वर्ष 2017–18 के लिए 48.74 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 983.85 करोड़ रु. जारी किए गए हैं जबकि जनवरी–मार्च 2018 की तिमाही में 341.24 करोड़ रु0 की निधियां जारी की गई। वर्ष 2018–19 के लिए 1250.81 करोड़ रु. राशि की 56.12 लाख छात्रवृत्तियों के संवितरण के लिए अनुमोदन दिया गया है (अनंतिम)। छात्रवृतियों का संवितरण 2019–20 में जारी रहेगा।

(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

3.3 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत नवम्बर, 2007 में की गई थी। यह केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति भारत में आवासीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज सहित किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है। प्रत्येक चुने गए छात्र को 2300/– रु. से 15,000/– रु. तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

3.4 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पिछले वर्ष की अंतिम परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हैं और जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हैं, वे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत, नवीकरण के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 5 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 30% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित की गई हैं। यदि पर्याप्त संख्या में छात्राएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो ये छात्रवृत्तियां पात्र छात्रों को प्रदान कर दी जाती हैं।

3.5 चौदहवें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान 1,279.08 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया था। यह परिव्यय लगभग 22.50 लाख नई और नवीकरण छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए है। वर्ष 2017–18 के लिए 6.21 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 369.01 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी। जनवरी से मार्च 2018 की तिमाही के दौरान 161.57 करोड़ रु0 की निधियां जारी की गई थी। वर्ष 2018–19 के लिए 405.75 करोड़ रु. राशि की 6.54 लाख छात्रवृत्तियों के संवितरण के लिए अनुमोदन दिया गया है (अनंतिम)। छात्रवृति का संवितरण 2019–20 में जारी रहेगा।

(iii) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

3.6 मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है, जो वर्ष 2007 में शुरू की गयी थी। ये छात्रवृत्तियां उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता–प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वालों को प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त 60,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है। इन छात्रवृत्तियों में से 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं जो पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएं उपलब्ध न होने पर पात्र छात्रों द्वारा उपयोग की जा सकती हैं।

3.7 इस योजना के तहत व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए सूचीबद्ध 85 प्रतिष्ठित प्रमुख संस्थानों में से किसी में भी प्रवेश प्राप्त पात्र छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों को 20,000/– रु. वार्षिक की दर से पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है और इसके अतिरिक्त दिवा छात्र को 5,000/– रु. और छात्रावासी छात्र को 10,000/– रु. प्रतिवर्ष की दर से अनुरक्षण भत्ता भी स्वीकार्य है।

3.8 जिन छात्रों ने किसी उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता–प्राप्त किसी भी तकनीकी अथवा व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लिया है इस योजना के अधीन पात्र हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा के बिना प्रवेश प्राप्त छात्रों के मामले में नई छात्रवृत्ति के लिए उच्चतर माध्यमिक/स्नातक स्तर पर पिछली अर्हक परीक्षा में कम से कम 50% अंक अर्जित किए होने चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.9 चौदहवें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2017–18 से 2019–20 की अवधि के दौरान 1,138.32 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है। यह परिव्यय लगभग 4.20 लाख नई और नवीकरण छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए है। वर्ष 2017–18 के लिए 1.16 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 316.57 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी। जनवरी से मार्च 2018 की तिमाही के दौरान 173.08 करोड़ रु0 की निधियां जारी की गई थी। वर्ष 2018–19 के लिए 267.84 करोड़ रु. की राशि की कुल 1.01 लाख छात्रवृत्तियों के संवितरण के लिए अनुमोदन दिया गया था (अनंतिम आंकड़े)। छात्रवृति का संवितरण 2019–20 में जारी रहेगा।

अध्याय–4

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

4.1 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) योजना की शुरुआत केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस) के रूप में 11 अप्रैल, 2009 को की गई थी। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। योजना का उद्देश्य उच्चतर अध्ययन यथा एम.फिल और पीएच.डी. करने के लिए अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में पांच वर्ष की अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। इस अध्येतावृत्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान आते हैं। अध्येतावृत्तियों का 30% महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किया गया है। महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर अध्येतावृत्ति उसी अल्पसंख्यक समुदाय के पुरूष अभ्यर्थियों को प्रदान की जा सकती है। योजना के अधीन अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए सीबीएसई–एनईटी/सीएसआईआर–एनईटी परीक्षा पहले से पास करना एक पूर्वापेक्षा होगी।

4.2 सक्षम प्राधिकारी ने इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि से आगे 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2019–20 तक कुछ परिशोधनों के साथ जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है।

4.3 संशोधित योजना के अनुसार वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए अध्येतावृत्तियों की संख्या 756 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। अध्येतावृत्ति का लाभ लेने के लिए पात्र अभ्यर्थी के माता–पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय की ऊपरी सीमा 2.50 लाख रु. से बढ़ाकर 6.00 लाख कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्ति की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड से संवितरित की जाती और लाभार्थी के खाते में सीधे जमा कर दी जाती है।

4.4 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि (2017–18 से 2019–20) के लिए नवीकरण के अतिरिक्त 2,756 नए स्कॉलरों को अध्येतावृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 494.40 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया था।

4.5 जनवरी 2018 से मार्च 2018 की तिमाही के दौरान 25.00 करोड़ रु0 की निधियां जारी की गई।

4.6 वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के अधीन 1000 अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। पात्र स्कॉलरों को अध्येतावृत्ति की राशि आगे संवितरित करने के लिए 97.85 करोड़ रु. की राशि यूजीसी को जारी की गई है।

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–5

नया सवेरा – अल्पसंख्यक विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना

5.1 ''अल्पसंख्यक समुदायों'' के अभ्यर्थियों के लिए ''निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना'' इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2007 से शुरू की गई।

5.2 इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों और अभ्यर्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना है ताकि वे सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पा सकें।

5.3 सक्षम प्राधिकारी ने इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि से आगे 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2019–20 तक कुछ परिशोधनों के साथ जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है।

5.4 संशोधित योजना के अनुसार, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित केवल वही अभ्यर्थी योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्र होंगे जिनकी सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 6.00 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है। संगठन/कार्यान्वयनकर्त्ता एजेंसी के लिए यह आवश्यक है कि वे संबंधित छात्र/अभ्यर्थी से उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण–पत्र प्राप्त करें। कोचिंग के लिए स्वीकृत विद्यार्थियों की संख्या में से 30% स्थान छात्राओं/बालिका अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। पात्र महिला अभ्यर्थियों/छात्राओं की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने पर बाकी स्लॉट मंत्रालय की पूर्व अनुमति/सूचना के साथ पुरूष छात्रों/अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे।

5.5 निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत एक नया संघटक विज्ञान विषयों (भौतिकी, रसायन, जीव–विज्ञान और/अथवा गणित) के साथ 11वीं और 12वीं कक्षाओं में अल्पसंख्यक छात्रों की अभिकेंद्रित तैयारी के लिए वर्ष 2013–14 से जोड़ा गया है और इसे प्रायोगिक आधार पर केवल 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किया गया है। तथापि, संशोधित योजना के अनुसार इस नए घटक को पात्र संस्थानों/संगठनों और पर्याप्त निधियों की उपलब्धता की शर्त पर अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। जिन छात्रों ने विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा 75% अंकों के साथ पास की है, उनके लिए नए घटक में एक वर्ष का आवासीय कोचिंग कार्यक्रम भी जोड़ा गया है।

5.6 उपर्युक्त के अलावा, सिविल सेवा परीक्षाओं की सम्मिश्रित तैयारी के लिए एक विशेष आवासीय कोचिंग कार्यक्रम भी योजना में जोड़ा गया है। तथापि, जो विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षाओं की सम्मिश्रित तैयारी के लिए आवासीय कोचिंग लेंगे, वे मंत्रालय की ''नई उड़ान'' योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

5.7 इस योजना के अधीन, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और सरकारी नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षाओं/प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए चुने गए कोचिंग संस्थानों/संगठनों को निधियां जारी की जाती हैं। कोचिंग संस्थानों /संगठनों को देय कोचिंग

फीस की दर और छात्रों के लिए वजीफे की राशि नीचे दी गई है :–

कोचिंग की किस्म	प्रति अभ्यर्थी कोचिंग शुल्क	प्रति छात्र प्रतिमाह वजीफे की राशि	अवधि
सिविल सेवा परीक्षा की सम्मिश्रित तैयारी हेतु आवासीय कोचिंग कार्यक्रम	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 1.00 लाख रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	कोई वजीफा नहीं दिया जाएगा। निशुल्क आवास एवं भोजन सहित आवासीय कार्यक्रम	9 महीने
समूह 'क' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 50,000/– रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	2500/– रु. प्रतिमाह	6 महीने
तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 50,000/– रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	–वही–	6 महीने
समूह 'ख' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 30,000/– रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	–वही–	4 महीने
समूह 'ग' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 20,000/– रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	–वही–	3 महीने
नया घटक (इंजीनियरिंग/चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभिकेन्द्रित कोचिंग)	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, 1.00 लाख रु. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन	कोई वजीफा नहीं दिया जाएगा। निशुल्क आवास एवं भोजन सहित आवासीय कार्यक्रम	8–10 महीने

5.8 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि (2017–18 से 2019–20 तक) के दौरान अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से लगभग 33,000 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए 238.75 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया था।

5.9 जनवरी 2018 से मार्च 2018 की तिमाही के दौरान 13.37 करोड़ रु0 की निधियां जारी की गई।

5.10 2018–19 के लिए बजट आबंटन 74.00 करोड़ रु. था जिसमें से योजना के अधीन 31.03.2019 के अनुसार, 10097 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों/संगठनों को 44.61 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–6

नई उड़ान–संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों हेतु सहायता।

6.1 इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे संघ तथा राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हो सकें तथा पात्र अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देते हुए सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है।

6.2 यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि से आगे 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2019–20 तक कुछ परिशोधनों के साथ जारी रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई है।

6.3 संशोधित योजना के अनुसार योजना के अधीन लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी की कुल वार्षिक पारिवारिक आय 4.50 लाख रु. से बढ़ाकर 6.00 लाख कर दी गई है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा इस वित्तीय सहायता का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है। अभ्यर्थी केंद्र अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की किसी अन्य समान योजना से लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। इसके अलावा, जिन अभ्यर्थियों ने इस योजना का लाभ लिया है, वे मंत्रालय की निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अधीन लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।

6.4 योजना के अधीन देशभर में प्रत्येक वर्ष अधिकतम 2000 अभ्यर्थियों को पात्रता मानदंड पूरा करने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा–वार/समुदाय–वार संख्या पर आधारित होगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आर्थिक सहायता की अधिकतम दर एक लाख रुपए (1,00,000/– रु.) केवल होगी; राज्य लोक सेवा आयोगों (राजपत्रित पद) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर पचास हजार रुपए (50,000/– रु.) केवल और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अराजपत्रित पदों के लिए आयोजित संयुक्त स्नातक स्तर की परीक्षा पास करने पर पच्चीस हजार रुपए (25,000/– रु.) केवल होगी। संशोधित दर 29.09.2017 के बाद प्राप्त आवेदनों पर लागू है।

6.5 पात्र अभ्यर्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए परिणाम घोषित होने की तारीख से एक महीने के भीतर www.naiudaanmoma.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वित्तीय सहायता की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा कर दी जाती है।

6.6 लगभग 6000 अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 3 वित्तीय वर्षों अर्थात् (2017–18, 2018–19 और 2019–20) के लिए योजना की कुल अनुमानित लागत के रूप में 24.75 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए थे।

6.7 जनवरी–मार्च 2018 की तिमाही के दौरान, 3.06 करोड़ रु0 की निधियां जारी की गई।

6.8 वित्तीय वर्ष 2018–19 (31.03.2019 के अनुसार) के दौरान बजट आबंटन 8.0 करोड़ रु. है जिसमें से 6.75 करोड़ रु. की राशि उन 1182 अभ्यर्थियों को जारी कर दी गई थी जिन्होंने यूपीएससी और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली थीं।

अध्याय–7

पढ़ो परदेश

पढ़ो परदेशः अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता की योजना

7.1 इस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देती है और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि करती है। यह केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके अधीन स्नातकोत्तर और एम.फिल/पीएच.डी स्तरों पर विदेश में अनुमोदित कोर्स करने के लिए छात्र द्वारा विदेश में अध्ययन हेतु लिए गए शैक्षिक ऋण पर ऋणस्थगन अवधि के लिए देय ब्याज पर ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत ब्याज सहायता पात्र छात्रों को केवल एक बार या तो स्नातकोत्तर अथवा पीएच.डी स्तर पर ही उपलब्ध है। यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और केनरा बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार एक नोडल बैंक अर्थात् केनरा बैंक के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

7.2 जिन छात्रों ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की शैक्षिक ऋण योजना के अधीन किसी अनुसूचित बैंक से ऋण लिया है, उनके द्वारा ऋणस्थगन अवधि के लिए देय ब्याज (अर्थात पाठ्यक्रम की अवधि, साथ में नौकरी मिलने के पश्चात एक वर्ष या छह माह, जो भी पहले हो), जैसाकि बैंकों की शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत निर्धारित हैं, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऋणस्थगन अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात, बकाया ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान मौजूदा शैक्षिक ऋण योजना, जो समय–समय पर संशोधित की जा सकती है, के अनुसार छात्र द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थी ऋणस्थगन अवधि के बाद मूलधन और ब्याज को वहन करेगा।

7.3 नियोजित अभ्यर्थियों अथवा बेरोजगार अभ्यर्थियों के मामले में उनके माता–पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 6.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 35% सीटें छात्राओं के लिए निर्धारित की जाएंगी। छात्राएं उपलब्ध न होने पर सीटें छात्रों को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

7.4 यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि से आगे 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात् 2019–20 तक जारी रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई है।

7.5 जनवरी से मार्च 2018 की तिमाही के दौरान 10.48 करोड़ रु0 की निधियां जारी की गई।

7.6 वर्ष 2018–19 के दौरान योजना के अधीन 8,787 नए और नवीकरण अभ्यर्थियों के संबंध में ब्याज सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए केनरा बैंक को 45.00 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–8

नई रोशनी: अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना

8.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास के लिए एक अनन्य योजना **''नई रोशनी''** कार्यान्वित की जाती है जिसका उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंकों एवं मध्यस्थों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक महिलाओं का सशक्तिकरण करना तथा उनमें आत्मविश्वास जगाना है। यह योजना पैनल में शामिल गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

8.2 यह छह दिनों (आवासीय के लिए पांच दिन) का सुग्राहीकरण कार्यक्रम होता है जिसके बाद महिलाओं से अनन्य रूप से संबंधित मुद्दों को कवर करते हुए मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूलों पर एक वर्ष की अवधि के लिए सहायता की जाती है। प्रशिक्षण मॉड्यूल महिलाओं से संबंधित मुद्दों जैसे निर्णय करने में भागीदारी के माध्यम से महिलाओं का नेतृत्व, महिलाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल तथा सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन के लिए पक्ष–समर्थन को कवर करते हैं।

8.3 2015–16 में मंत्रालय ने एक आनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली (ओएएमएस) शुरू की है जिससे पारदर्शिता आई है, आनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है, देरी में कमी हुई है और स्वीकृतियां आनलाइन जारी करने में सक्षम बनाया गया है।

8.4 इसकी शुरुआत से देशभर में 27 राज्यों में 108.68 करोड़ रु. की राशि के साथ 4.20 लाख से अधिक महिलाओं का प्रशिक्षण स्वीकृत किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा योजना के कार्यान्वयन की मानीटरिंग की जाती है।

जनवरी से मार्च 2018 की तिमाही में हुआ व्यय 13.54 करोड़ रु0 था।

8.5 ''नई रोशनी'' योजना संशोधित दिशा–निर्देशों के साथ तीन वर्षों अर्थात् 14वें वित्त आयोग (2017–2020) के लिए अनुमोदित की गई है जिसमें उन महिलाओं की पहचान पर विशेष बल रहेगा जो सामान्य हैंडहोल्डिंग के अलावा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किसी अल्प अवधि के प्रशिक्षण के अधीन प्रशिक्षित किए जाने की इच्छुक हैं/आगे प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि उन्हें उपयुक्त वैतनिक रोजगार या स्व–रोजगार/लघु उद्यम के माध्यम से सतत आर्थिक आजीविका अवसर प्राप्त कर सकें, इसमें विकलांग महिलाओं के लिए कार्यक्रम भी शामिल हैं। 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि अर्थात 2017–18 से 2019–20 के दौरान प्रत्येक वित्त वर्ष में 1.5 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को अथवा 50000 महिलाओं को कवर करने का प्रस्ताव है।

01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान 'नई रोशनी' योजना की उपलब्धियां

अवधि	वित्तीय लक्ष्य (बीई/आरई) (करोड़ रु. में)	वित्तीय उपलब्धियां (करोड़ रु. में)	वास्तविक उपलब्धियां
01.01.2018 से 31.03.2019 तक	15.0/17.0 (2018–19)	13.83	75,816

अध्याय–9

हमारी धरोहर : भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना

9.1 भारत की समृद्ध विरासत में अल्पसंख्यकों के योगदान को प्रदर्शित करने हेतु चुनिंदा हस्तक्षेप कार्रवाई की योजना।

9.2 2014–15 के दौरान अनुमोदित की गई।

9.3 योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:–

i. भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना।

ii. प्रदर्शनियों की क्यूरेटिंग।

iii. साहित्य/दस्तावेजों आदि का संरक्षण।

iv. कैलीग्राफी आदि की सहायता एवं संवर्धन।

v. अनुसंधान एवं विकास।

9.4 योजना के अधीन कवर किए गए क्रियाकलाप (विरासत के संरक्षण के लिए) निम्नानुसार है:

i. विरासत को प्रदर्शित तथा संरक्षित करने के लिए आइकोनिक प्रदर्शनियों/रंगकलाओं सहित प्रदर्शनियों की क्यूरेटिंग;

ii. कैलीग्राफी आदि के लिए सहायता एवं संवर्धन;

iii. साहित्य, दस्तावेज, पाण्डुलिपि आदि का संरक्षण;

iv. श्रव्य परंपराओं/कला विधाओं का प्रलेखन;

v. अल्पसंख्यक समुदायों की विरासत को प्रदर्शित करने एवं संरक्षित करने हेतु 'एथनिक संग्रहालयों' (संस्कृति मंत्रालय अथवा इसके निकायों की योजनाओं के अंतर्गत सहायता न प्राप्त) के लिए सहायता देना;

vi. विरासत से संबंधित सेमिनारों/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए सहायता;

vii. विरासत के सरंक्षण और विकास में अनुसंधान हेतु अध्येतावृत्ति;

viii. अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने हेतु व्यक्तियों/संस्थानों को अन्य कोई सहायता।

9.5 अब तक शुरू की गई परियोजनाएं:

i. द एवरलास्टिंग फ्लेमः माननीय वित्त मंत्री ने 2015–16 के लिए अपने बजट भाषण में पारसी संस्कृति पर प्रदर्शनियों, नामतः ''द एवरलास्टिंग फ्लेम'' की घोषणा की थी। पारसी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए 2015–16 के दौरान तीन प्रदर्शनियां – ''द एवरलास्टिंग फ्लेम'', ''थ्रेड्स ऑफ कंटीन्यूइटी'' और ''अक्रॉस द ओशियन्स एंड फ्लोइंग सिल्क्स'' आयोजित की गई। परियोजना के लिए 18.73 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी।

ii. दैरातुल मारीफिल उस्मानिया, उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाः मध्यकालीन युग से संबंधित 240 दस्तावेजों के अरबी से अंग्रेजी में अनुवाद, उनके डिजीटिकरण और पुनर्मुद्रण के लिए 2015–16 के दौरान संगठन को 2.77 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी।

iii. मंत्रालय ने 2 अक्तूबर 2018 से 2 अक्तूबर, 2020 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में 'गांधी–150 मुशायरा' विषय पर मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से 'हमारी धरोहर' योजना के तहत दो मुशायरों (दिल्ली एवं मुम्बई में) का सफल आयोजन किया। अन्नू कपूर फिल्म्स प्रा. लि. द्वारा मुम्बई में 'हुनर हाट' के दौरान एक सूफी संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

iv. जनवरी से मार्च 2018 की तिमाही में हुआ व्यय 0.05 करोड़ रु0 था।

मुम्बई में आयोजित हुनर हाट में माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने इलाहबाद में सर्किट हाउस के निकट उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में हुनर हाट का उद्घाटन किया

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पुडुचेरि में आयोजित हुनर हाट का उद्घाटन पुडुचेरि के मुख्यमंत्री श्री वी. नारायणसामी ने किया

माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने आईआईटीएफ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हुनर हाट का उद्घाटन किया

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस ने मुम्बई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित हुनर हाट का उद्घाटन किया

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने स्टेट इम्पोरिया कॉम्प्लेक्स, बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में आयोजित हुनर हाट का उद्घाटन किया

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–10

नई मंजिल

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल

10.1 नई मंजिल योजना का शुभारंभ 8 अगस्त, 2015 को पटना, बिहार में किया गया था और यह वर्ष 2016–17 में चालू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना है जो स्कूल ड्रापआऊट्स की श्रेणी में आते हैं अथवा मदरसों इत्यादि जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में पढ़े हैं। ऐसा उन्हें औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके किया जाएगा ताकि वे बेहतर रोजगार प्राप्त करने और बेहतर जीवन जीने के लिए समर्थ हो सकें।

10.2 नई मंजिल योजना में पात्र अल्पसंख्यक युवाओं को ओपन बेसिस एजुकेशन के तहत कक्षा 8वीं (ओबीई)/10वीं (माध्यमिक) का मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए शिक्षा ब्रिज कार्यक्रम की व्यवस्था की गई जिसके साथ जीवन कौशलों सहित उच्च स्तरीय कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह योजना लाभार्थियों को सतत् रोजगार प्राप्त करने में मदद के लिए जॉब प्लेसमेंट सहायता भी प्रदान करती है।

10.3 यह योजना विश्व बैंक के 50% वित्त–पोषण के साथ पांच वर्षों के लिए 650 करोड़ रुपए की लागत के साथ अनुमोदित की गई है। नई मंजिल योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पहला विश्व बैंक सहायता–प्रदत्त कार्यक्रम है। यह योजना इसलिए भी उल्लेखनीय है कि यह योजना लाभार्थियों की रोजगार–परकता में महत्वपूर्ण वृद्धि करने के लिए स्कूल ड्रापआउट्स हेतु शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ती है।

10.4 नई मंजिल योजना गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों से आए 17–35 वर्ष की आयु समूह के स्कूल ड्रापआउट अल्पसंख्यक युवाओं पर लक्ष्यित है। इस योजना में कवर किए जाने वाले अल्पसंख्यक लाभार्थी मुख्यतः 1228 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी) से हैं जहां अल्पसंख्यक आबादी 25% या इससे अधिक है। गैर–अल्पसंख्यक जिले या शहर के भीतर अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता वाली कुछ विशेष पॉकेटों पर भी विचार किया जाता है। अंतर–सामुदायिक एकता को बढ़ावा देने के लिए गैर–अल्पसंख्यक समुदायों के बीपीएल परिवारों से 15% अभ्यर्थियों को भी कवर किया जाता है। इस योजना में पांच वर्षों में एक लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करने की परिकल्पना की गई है।

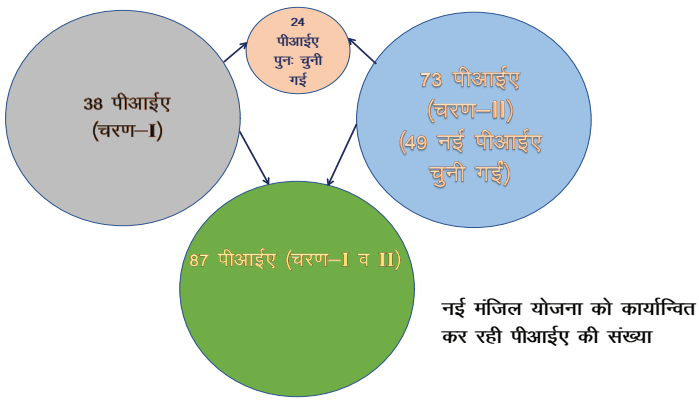

10.5 यह योजना दो चरणों अर्थात् चरण–I व चरण–II में कार्यान्वित की जा रही है। प्रथम चरण के दौरान यह योजना देशभर में 22 राज्यों में फैली 72 परियोजनाओं (प्रत्येक में 970 लाभार्थी) के माध्यम से 38 परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) द्वारा क्रियान्वित की गई। जबकि चरण–II में 73 परियोजनाएं (प्रत्येक में 413 लाभार्थी) स्वीकृत की गईं जो 9 से 12 महीने के लिए गैर–आवासीय एकीकृत शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती हैं जिनमें से कम से कम 3 महीने राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुकूल कौशल प्रशिक्षण में लगाए जाते हैं। निर्धारित फ्रेमवर्क के अनुसार कौशल प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात, लाभार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियों में प्लेस किया जाएगा।

10.6 योजना के रोजमर्रा कार्य प्रबंधन के लिए मंत्रालय में एक परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू) स्थापित किया गया है जिसमें 8 तकनीकी विशेषज्ञ हैं। एकक की संरचना निम्नानुसार है: टीम लीडर, शिक्षा एवं कौशल विशेषज्ञ, कम्यूनिकेशन विशेषज्ञ, एमआईएस विशेषज्ञ, खरीद (प्रोक्योरमेंट) विशेषज्ञ, वित्त प्रबंधन विशेषज्ञ, एम एण्ड ई स्पेशलिस्ट एवं सिस्टम एनालिस्ट।

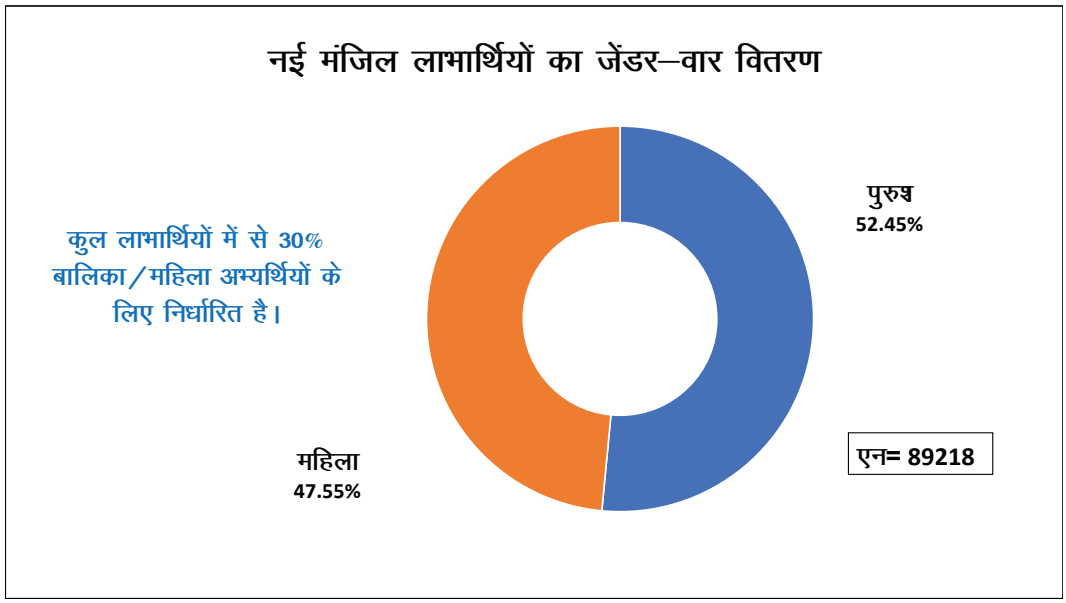

एक लाख के लक्ष्यित लाभार्थियों में से 69840 लाभार्थी चरण–I में कवर किए गए, शेष 30160 लाभार्थियों का लक्ष्य 2017–18 के दौरान 73 पीआईए द्वारा 73 परियोजनाओं के माध्यम से रखा गया। कुल 87 पीआईए 27 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 145 परियोजनाओं के माध्यम से योजना को कार्यान्वित करती हैं।

10.7 जनवरी से मार्च, 2018 की तिमाही के दौरान 93.32 करोड़ रु0 की निधियां जारी की गई।

10.8 वर्ष 2018–19 के लिए नई मंजिल योजना के कार्यान्वयन के लिए 120.00 करोड़ रु. (वर्ष 2018–19 के लिए संशोधित अनुमान) निर्धारित किए गए जिसमें 93.73 करोड़ रु. उपयोग किए गए। योजना का कार्यान्वयन सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2018–19 के दौरान चार बाहरी तकनीकी सहायता एजेंसियों अर्थात् संवितरण से जुड़े संकेतकों के लिए स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी, एमआईएस (डिजाइन, विकास एवं प्रबंधन) एजेंसी, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए तकनीकी सहायता एजेंसी, आईईसी कार्यनीति और कार्यान्वयन योजना तैयार करने के लिए एजेंसी को नियोजित किया गया/पैनल में शामिल किया गया।

10.9 वर्ष 2018–19 के दौरान नई मंजिल योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए संचालन समिति की दो बैठकें और तकनीकी परामर्श समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

क्र. सं.	राज्य	परियोजना की कुल संख्या (चरण–I व II)
1	उत्तर प्रदेश	17
2	असम	12
3	पंजाब	12
4	बिहार	10
5	झारखंड	10
6	केरल	5
7	पश्चिम बंगाल	9
8	जम्मू एवं कश्मीर	8
9	महाराष्ट्र	5
10	तेलंगाना	9
11	दिल्ली	4
12	मध्य प्रदेश	5
13	मेघालय	4
14	राजस्थान	4
15	गुजरात	3
16	हरियाणा	4
17	नागालैंड	2
18	उड़िसा	3
19	तमिलनाडु	3
20	आंध्र प्रदेश	2

क्र. सं.	राज्य	परियोजना की कुल संख्या (चरण–I व II)
21	अरूणाचल प्रदेश	2
22	छत्तीसगढ़	2
23	कर्नाटक	3
24	मणिपुर	2
25	अंडमान एवं निकोबार	1
26	गोवा	1
27	हिमाचल प्रदेश	1
28	त्रिपुरा	1
29	उत्तराखंड	1
	कुल	**145**

10.10 योजना कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के लिए जून और जुलाई 2018 के दौरान रांची, अहमदाबाद, बेंगलुरु, षिलांग, चंडीगढ़ और कोलकाता में छह क्षेत्रीय कार्यशालाएं एवं समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

31 मार्च 2019 तक योजना के एक्सेल आधारित एमआईएस के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 89218 छात्रों का नामांकन किया गया जिनमें से 47.55% महिलाएं हैं। जबकि 24% लाभार्थी ओपन बेसिस एजुकेशन (OBE) में नामांकित हैं, शेष 76% लाभार्थी माध्यमिक शिक्षा में नामांकित हैं।

नई मंजिल योजना

नई मंजिल केंद्र, गोवा

नई मंजिल केंद्र, केरल

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–11

उत्तर–पूर्व क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 2018–19 और 2019–20 के लिए योजना–वार बजट आबंटन

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2018–19	संशोधित अनुमान 2018–19	बजट अनुमान 2019–20 (अनंतिम)
i.	अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	25.00	25.00	40.00
ii.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	50.00	50.00	60.00
iii.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	40.00	40.00	50.00
iv.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों(एससीए) को सहायता–अनुदान	0.30	0.30	–
v.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	2.00	2.00	2.20
vi.	कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (पूर्ववर्ती राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण और राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण)	1.30	1.30	1.60
vii.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	18.00	18.00	18.00
viii.	कौशल विकास पहलें	28.00	28.00	28.00
ix.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम में निवेश	15.00	15.01	6.00
x.	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पहले अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के रूप में ज्ञात)	233.84	233.83	212.55
xi.	संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	1.00	1.00	1.50
xii.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	6.00	6.00	12.00
xiii.	नई मंजिल	12.00	12.00	14.00
xiv.	उस्ताद	–	–	5.00
xv.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	–	–	7.00
	सकल योग	**432.44**	**432.44**	**458.15**

अध्याय–12

अल्पसंख्यकों के लिए कौशल विकास पहल ''सीखो और कमाओ (Learn & Earn)''

12.1 मंत्रालय ने वर्ष 2013 में अल्पसंख्यकों के लिए प्लेसमेंट से जुड़ी ''सीखो और कमाओ (Learn & Earn)'' नामक कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं की योग्यता, मौजूदा आर्थिक रूझानों एवं बाजार की क्षमता के आधार पर विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक व्यवसायों में उनके कौशलों का उन्नयन करना है, जिससे उन्हें उचित रोजगार मिल सके अथवा वे स्व–रोजगार के लिए उपयुक्त रूप से कुशल हो सकें।

12.2 यह योजना चयनित परियोजना कार्यान्वयन एजेसियों (पीआईए) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

12.3 योजना के अंतर्गत, कौशल विकास कार्यक्रम के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य मानदंडों का पालन किया जाता है। राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुकूल पाठ्यक्रम शुरू किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा प्रयोग किए जा रहे पारंपरिक कौशलों को भी उन्नयन और बाजार से जोड़ने के लिए कार्रवाई की जाती है।

12.4 यह योजना न्यूनतम 75% प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट सुनिश्चित करती है जिसमें से न्यूनतम 50% प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

पीआईए के लिए जरूरी है कि वे प्रशिक्षणार्थियों की प्लेसमेंट पश्चात ट्रैकिंग एक वर्ष तक करें। प्लेसमेंट के पश्चात् ट्रैकिंग, विशेषकर उन लोगों के लिए जो संगठित क्षेत्र में लगे हैं, के दौरान पीआईए के लिए प्लेस किए गए अभ्यर्थियों के बैंक खाता संख्या, वेतन पर्ची आदि की सूचना बनाए रखना अपेक्षित है।

- योजना के अधीन अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% सीटें आरक्षित हैं।

12.5 **उपलब्धियां**

- वर्ष 2013–14 के दौरान, 20,164 अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए

17.00 करोड़ रु. जारी किए गए। इनमें से 19,524 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और 15,247 अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट हुआ।

- 2014–15 के दौरान, 20720 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के लिए 46.21 करोड़ रु. जारी किए गए थे। इसमें से, 20,686 अल्पसंख्यक युवा प्रशिक्षित हुए तथा 15694 प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्त किया गया है।

- वर्ष 2015–16 के दौरान, 1,23,330 अल्पसंख्यक युवाओं के प्रशिक्षण के लिए 191.96 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 96494 अल्पसंख्यक युवाओं द्वारा प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है और इनमें से 45496 प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट हुआ है।

- वर्ष 2016–17 के दौरान, 53,240 अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 204.93 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 47947 अल्पसंख्यक युवाओं ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

- वर्ष 2017–2018 के दौरान, 134 पीआईए को 1,20,000 अल्पसंख्यक युवाओं का आबंटन किया

गया। वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान अल्पसंख्यक युवाओं के प्रशिक्षण के लिए 186 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। जनवरी 2018 से मार्च 2018 की तिमाही के दौरान 176.12 करोड़ रु0 का व्यय हुआ।

- वर्ष 2018–2019 के दौरान, 1,20,500 अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था। 31.03.2019 तक 51,550 अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण हेतु आबंटित किया गया है। निगरानी एवं मूल्यांकन मानकों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के मानकों के अनुसार बनाने के प्रयास किए गए हैं।

12.6 मंत्रालय ने प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिए ''सीखो और कमाओ'' का एक ऑनलाइन पोर्टल अर्थात www.seekhoaurkamao-moma.gov.in भी शुरू किया है जिसमें आम जनता एवं कर्मचारियों की जानकारी के लिए परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों, प्रशिक्षणार्थियों, प्रशिक्षकों, प्रशिक्षण केंद्रों, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण का क्षेत्र आदि का विवरण दिया गया है।

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–13

उस्ताद (विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन)

13.1 ''उस्ताद (विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन)'' की औपचारिक शुरुआत 14 मई, 2015 को वाराणसी (उ.प्र.) में की गई।

13.2 इस योजना का उद्देश्य मास्टर शिल्पकारों और कारीगरों की क्षमता का निर्माण करना और पारंपरिक कौशलों का उन्नयन करना; अल्पसंख्यकों की पहचानी गई परम्परागत कलाओं/शिल्पों का प्रलेखन करना; परम्परागत कौशलों के लिए मानक निर्धारित करना; मास्टर शिल्पकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न पहचानी गई परम्परागत कलाओं/शिल्पों में प्रशिक्षण देना; राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार लिंकेज विकसित करना; और गुम होती जा रही कलाओं/शिल्पों का संरक्षण करना है।

13.3 मंत्रालय ने भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) और भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों को नियोजित किया है ताकि डिजाइन में सहायता; उत्पाद रेंज विकास; पैकेजिंग; प्रदर्शनियों, बिक्री बढ़ाने के लिए ई–मार्केटिंग पोर्टलों के साथ टाई–अप करना; और ब्रांड निर्माण के लिए विभिन्न शिल्प क्लस्टरों में काम किया जा सके।

13.4 2015–16 के लिए 17.01 करोड़ रु. के निर्धारित बजट में से 16.90 करोड़ रु. (99% से अधिक) उपयोग किए गए।

13.5 2016–17 के दौरान, पारंपरिक शिल्पों में प्रशिक्षण के लिए 20.00 करोड़ रु. निर्धारित किए गए थे। परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) को कुल 16,200 प्रशिक्षणार्थी स्वीकृत किए गए हैं और 38 पीआईए को 19.77 करोड़ रु. जारी किए गए है।

13.6 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2017–18 के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से उस्ताद ब्रांड के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों की पारम्परिक कलाओं/शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए 3 ''हुनर हाट'' प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

13.7 जनवरी से मार्च 2018 की तिमाही में 6.91 करोड़ रु0 जारी किए गए।

13.8 मंत्रालय ने 2018–19 के दौरान इलाहबाद, बाबा खड़क सिंह मार्ग (दिल्ली), भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (दिल्ली), मुंबई और पुडुचेरी में पांच हुनर हाटों का आयोजन किया। उस्ताद योजना के अधीन वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए कुल 84 परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को पैनलबद्ध किया गया है।

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–14

भारत में पारसियों की जनसंख्या की गिरावट को रोकने हेतु योजना

14.1 पारसी समुदाय की जनसंख्या की गिरावट को रोकने के लिए 2013–14 के दौरान 'जियो पारसी' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पारसियों की आबादी को स्थिर रखने के लिए वैज्ञानिक न्याचार और ढांचागत क्रियाकलापों को अपनाकर पारसी आबादी के गिरते रूझान को उलटना तथा भारत में उनकी जनसंख्या का संतुलन बनाए रखना है।

14.2 यह योजना बॉम्बे पारसी पंचायत (बीपीपी) की मदद से तथा संबंधित समुदाय के ऐसे संगठनों/सोसायटियों/अंजुमनों और पंचायतों के माध्यम से परजोर फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो कम से कम तीन वर्ष पुरानी हों।

14.3 योजना के अंतर्गत एक नया घटक अर्थात् ''समुदाय का स्वास्थ्य'' शामिल करते हुए इसे 29.09.2017 से संशोधित किया गया है। इसमें शिशुगृह/शिशु देखभाल सहायता, बच्चों की देखभाल हेतु वरिष्ठ नागरिक मानदेय, वृद्ध व्यक्तियों की सहायता को शामिल किया गया है। वृद्ध आश्रित व्यक्तियों हेतु सहायता के घटक की परिकल्पना उन पारसी दंपत्तियों को मौद्रिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई है जिनकी पारिवारिक आय 10 लाख रु. से कम है और जिनके परिवार में वृद्ध व्यक्ति साथ रह रहे हों और जहां ऐसी जिम्मेदारी बच्चे पैदा करने अथवा उनकी संख्या बढ़ाने में बाधक है।

14.4 योजना के अंतर्गत तीन घटक हैं अर्थात् पक्ष–समर्थन, समुदाय का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता। 2017–18 से 2019–20 के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु इन तीन घटकों के लिए 12 करोड़ रु. का कुल बजटीय प्रावधान किया गया है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निधि एक घटक से दूसरे घटक में अंतरित की जा सकती है। जनवरी से मार्च, 2018 की तिमाही के दौरान व्यय 1.58 करोड़ रुपए था।

14.5 वर्ष 2018–19 के दौरान (31/03/2019 के अनुसार), परज़ोर फॉउन्डेशन को चिकित्सा सहायता, पक्ष–समर्थन और समुदाय का स्वास्थ्य घटकों हेतु 4.0 करोड़ रु. के कुल बजटीय आबंटन जारी किया गया।

14.6 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, जियो पारसी योजना की शुरुआत से इस योजना की सहायता से 184 शिशुओं का जन्म हुआ है।

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–15

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना

15.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से करता है। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां लाभार्थियों की पहचान, रियायती ऋणों को सरणीबद्ध और लाभार्थियों से वसूली का कार्य करती हैं। तथापि, अधिकांश राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना बहुत कमजोर है, जिससे ऋण प्रदान करने में बाधा आती है। यदि इन एजेंसियों की अवसंरचना को मजबूत किया जाता है तो एनएमडीएफसी की योजनाओं की कवरेज में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

15.2 मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना में सुधार के लिए उन्हें सहायता अनुदान देने की योजना शुरू की थी। इस योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा एनएमडीएफसी के माध्यम से एससीए को 100% सहायता प्रदान की जाती है। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को अपनी जरूरत के अनुसार निधियां उपयोग करने की आजादी देते हुए योजना को आसान बनाया गया है। इस योजना के लिए मंत्रालय द्वारा आबंटित और जारी राशि का विवरण निम्नलिखित अनुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	मंत्रालय द्वारा जारी राशि
2007–08	10.00	10.00	10.00
2008–09	5.00	230	0.00
2009–10	2.00	2.00	2.00
2010–11	4.00	4.00	3.83
2011–12	2.00	2.00	1.35
2012–13	2.00	0.60	0.00
2013–14	2.00	2.00	2.00
2014–15	2.00	2.00	2.00
2015–16	2.00	2.00	2.00
2016–17	2.00	2.00	1.27
2017–18	2.00	2.00	0.30@
2018–19	2.00	2.00	2.00

@ जनवरी 2018 से मार्च 2018 की तिमाही के दौरान 0.30 करोड़ रुपए की निधियां जारी की गई।

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–16

भारत में आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक

16.1 संविधान के अनुच्छेद 350–ख के अधीन उपबंध के अनुसरण में जुलाई 1957 में आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक के कार्यालय की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप यह कार्यालय अस्तित्व में आया। अनुच्छेद 350–ख के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वे भारत में संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करे और इन मामलों पर ऐसे अंतराल पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे और इन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को भिजवाएंगे। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक का मुख्यालय दिल्ली में है, जिसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय बेलगाबी, चेन्नई और कोलकाता में हैं। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक, भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक और राष्ट्रीय तौर पर सहमति–प्राप्त रक्षोपायों के क्रियान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से संपर्क करते हैं। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक की 52वीं रिपोर्ट राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर क्रमशः 03–05–2016 और 04–05–2016 को रखी गई थी।

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक रक्षोपाय

16.2 भारत के संविधान के अंतर्गत, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को कतिपय रक्षोपाय प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने और उनकी भिन्न–भिन्न भाषाओं, लिपियों अथवा संस्कृतियों को संरक्षित रखने के उनके अधिकार को मान्यता देने तथा उनकी पंसद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और चलाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 347 में, किसी राज्य अथवा उसके किसी भाग की आबादी के काफी बड़े हिस्से द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा की, ऐसे किसी प्रयोजन के लिए जैसाकि राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, मान्यता हेतु राष्ट्रपति के निदेश की व्यवस्था है। अनुच्छेद 350 संघ/राज्यों में प्रयुक्त किसी भी भाषा में संघ अथवा राज्य के किसी प्राधिकरण को शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 350–क में भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 350–ख में संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक समूह के रूप में विनिर्दिष्ट विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया है।

आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक संगठन के कार्य एवं क्रियाकलाप

16.3 आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक संगठन भाषायी अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों से संबंधित उन सभी मामलों पर कार्रवाई करता है जो भाषायी अल्पसंख्यकों–व्यक्तियों/समूहों/संघों/संगठनों द्वारा उसके ध्यान में लाए जाते हैं। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का मौके पर आंकलन करने के लिए स्वयं भाषायी अल्पसंख्यक क्षेत्रों और शैक्षिक संस्थानों का दौरा करता है। इस संबंध में, आयुक्त जब कभी आवश्यक हो, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और उप राज्यपालों के साथ विचार–विमर्श करते हैं। सीएलएम, प्रशासन के सर्वोच्च शिखर अर्थात् मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (शिक्षा) और भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन की मानीटरिंग के लिए जिम्मेदार विभागों के प्रधान सचिवों के साथ भी विचार–विमर्श करते हैं।

अध्याय–17

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

17.1 भारत सरकार ने जनवरी, 1978 में, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए कार्यकारी आदेश के माध्यम से ''अल्पसंख्यक आयोग'' गठित किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया और इसे ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग'' का नाम दिया गया।

17.2 प्रथम सांविधिक आयोग का गठन 17 मई, 1993 को किया गया था। भारत सरकार ने 23 अक्तूबर, 1993 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत पांच धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों तथा पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया था। भारत सरकार की दिनांक 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचना द्वारा जैनों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

17.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और ख्यातिप्राप्त तथा योग्य और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से केन्द्र सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य होंगे। अध्यक्ष सहित 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4(1) के अनुसार, अध्यक्ष सहित सभी सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

17.4 आयोग के मुख्य कार्य अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबंधित और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधियों में दिए गए रक्षोपायों के कार्यकरण को मॉनीटर करना और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। यह आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करवाता है और अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुशंसाएं करता है।

17.5 10.04.2019 की स्थिति के अनुसार, आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं:–

(i)	श्री सैयद ग़योरुल हसन रिजवी	:	अध्यक्ष
(ii)	श्री जॉर्ज कुरियन	:	उपाध्यक्ष
(iii)	श्री सुनील सिंघी	:	सदस्य
(iv)	सुश्री सुलेखा कुम्भारे	:	सदस्य
(v)	श्री खुर्शद के. दस्तूर	:	सदस्य
(vi)	श्री मंजीत सिंह राय	:	सदस्य
(vii)	श्री आतिफ रशीद	:	सदस्य

17.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और इसमें उल्लिखित केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन तथा इन सिफारिशों में से किसी सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के कारण, यदि कोई हों, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से संबंधित सिफारिशें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9(3) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती हैं।

17.7 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने संसद में रखने के लिए 2017–18 तक की वार्षिक रिपोर्टें मंत्रालय को प्रस्तुत की हैं।

17.8 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन कर लिया है।

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–18

वक़्फ प्रशासन, केंद्रीय वक़्फ परिषद और राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है जो 1 जनवरी, 1996 से लागू हुआ। इस अधिनियम में पिछली बार संशोधन 2013 में किए गए थे। यह अधिनियम, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। जम्मू और कश्मीर, जिसका स्वयं का अपना अधिनियम है, को छोड़कर तीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम के अंतर्गत वक्फ बोर्डों का गठन कर लिया है।

18.1 वक्फ प्रभाग निम्नलिखित दो योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(i) **कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (पूर्व में राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण और उनका सुदृढ़ीकरण योजना के रूप में ज्ञात)**

योजना का घटक–वार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:–

घटक–I :

राज्य वक्फ बोर्डों के रिकॉर्डों का कंप्यूटरीकरण:

यह योजना वक्फ बोर्डों की रिकॉर्ड कीपिंग को सरल बनाने, पारदर्शिता लाने और वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण करने में सहायता देने के लिए है। इस प्रयोजनार्थ एनआईसी द्वारा वक्फ मैनेजमेंट् सिस्टम ऑफ इंडिया (वामसी) नामक वेब–आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार की गई थी ताकि निम्नलिखित चार मॉड्यूलों को शामिल करते हुए केंद्रीकृत डाटाबेस रखा जा सके।

(i) वक्फ का पंजीकरण
(ii) मुतवल्ली विवरणियों का आंकलन
(iii) संपत्तियों को पट्टे पर देने का विवरण
(iv) मुकदमों की ट्रैकिंग

राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की योजना परिशोधित की गई है और परिशोधित योजना में निम्नलिखित नए प्रावधान किए गए हैं:–

i. राज्य वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करने के लिए 550/– रु. प्रति वक्फ संपत्ति के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
ii. राज्य वक्फ बोर्डों को वामसी (डब्ल्यूएएमएसआई) मॉड्यूलों में आंकड़ों की प्रविष्टि का कार्य पूरा करने के लिए, आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोग्रामर के रूप में जनशक्ति की तैनाती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
iii. 32 राज्य वक्फ बोर्डों में केंद्रीकृत संगणक सुविधा केंद्र (सीसीएफ) के अनुरक्षण हेतु 6,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों वाले राज्य वक्फ बोर्डों को 3.00 लाख रु. प्रतिवर्ष तथा 6,000 से कम वक्फ संपत्तियों वाले राज्य वक्फ बोर्डों को 2.00 लाख रु. प्रतिवर्ष के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
iv. राज्य वक्फ बोर्डों के बेहतर संचालन हेतु ईआरपी सॉल्यूशन के लिए सीडब्ल्यूसी को हर राज्य वक्फ बोर्ड के हिसाब से 3.00 लाख रु. का एकबारगी अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

v. राज्य वक्फ बोर्डों तथा सीडब्ल्यूसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।

vi. अपने कार्यों के कंप्यूटरीकरण में सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाने वाले मुतवल्ली/प्रबंधन समिति को नकद पुरस्कार की व्यवस्था।

आदिनांक वामसी (डब्ल्यूएएमएसआई) ऑनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल में 5,78,311 अचल वक्फ संपत्तियों की आंकड़ा प्रविष्टि की गई है।

घटक–II :–

राज्य वक्फ बोर्डो का सुदृढ़ीकरणः

इस घटक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ बनाना है ताकि उनकी वक्फ संपत्तियों का और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह संचालन तथा प्रबंधन हो सके और आय सृजन में सुधार एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। उनकी क्षमताओं में सुधार होने से उनकी आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी जिससे उनकी बाहरी वित्तीय सहायता पर निर्भरता कम होगी और समय के साथ–साथ समाप्त हो जाएगी।

- राज्य वक्फ बोर्डों को उनके विधिक तथा लेखाकरण अनुभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा साथ–साथ उनकी प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक लागत के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- सर्वेक्षण सहायक, लेखाकार एवं विधिक सहायक की नियुक्ति के लिए तथा ज्यादा संख्या में वक्फ संपत्तियों वाले वक्फ बोर्डों में अंचल कार्यालय की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- मुतवल्ली/प्रबंधन समिति की क्षमता निर्माण के लिए 6,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों वाले राज्य वक्फ बोर्डों को 3.00 लाख रु. प्रतिवर्ष तथा 6,000 से कम वक्फ संपत्तियों वाले राज्य वक्फ बोर्डों को 2.00 लाख रु. प्रतिवर्ष के हिसाब से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- सर्वेक्षण आयुक्त हेतु सहायता–अनुदान।
- केन्द्रीय वक्फ परिषद को कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी बनाया गया है।
- वर्ष 2017–18 की अंतिम तिमाही में 3.20 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी।

वित्त–वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमान 16.94 करोड़ रु. था और वित्त–वर्ष 2018–19 के दौरान 11.79 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

18.2 शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (पूर्व में वक्फ को सहायता–अनुदान के रूप में ज्ञात)

औकाफ मुस्लिम कानून द्वारा धर्मनिष्ठ, धार्मिक अथवा धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त प्रयोजन हेतु चल अथवा अचल संपत्तियों के स्थायी समर्पण हैं। उनके धार्मिक पहलुओं के अलावा, औकाफ सामाजिक कल्याण के उपकरण भी हैं क्योंकि इसके लाभ सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में जरूरतमंदों को मिलते हैं। तथापि, देश में ज्यादातर औकाफ की सीमित एवं लगभग स्थिर आय है। परिणाम यह हुआ है कि आमतौर पर मुतवल्ली (औकाफ के प्रबंधक) वक्फ के उद्देश्य को अथवा उन प्रयोजनों को पर्याप्त रूप में पूरा करने में कठिनाई अनुभव करते हैं जिनके लिए ये औकाफ सृजित किए गए हैं। अधिकांश शहरी वक्फ भूमियों में विकास की बहुत संभावनाएं हैं किन्तु मुतवल्ली और यहां तक कि वक्फ बोर्ड भी पर्याप्त संसाधन जुटाने अथवा इन भूमियों पर आधुनिक कार्यात्मक भवनों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं हैं।

औकाफ तथा वक्फ बोर्डों की वित्तीय स्थिति को सुधारने और उन्हें अपने कल्याण संबंधी क्रियाकलापों

का दायरा बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए, केंद्र सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद को देश में वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को उनकी शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के विशिष्ट प्रयोजनार्थ सहायता–अनुदान देती है।

केंद्रीय वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को परिषद द्वारा अनुमोदित आर्थिक/व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य विकास संबंधी कुछ विशिष्ट परियोजनाओं हेतु ऋण प्रदान करती है। इन परियोजनाओं में वक्फ भूमियों पर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य भवनों का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण शामिल है। बढ़ी हुई आय का वक्फ बोर्डों/वक्फ को अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने और अपने कल्याण एवं धर्मार्थ क्रियाकलापों का विस्तार करने के लिए सक्षम होने हेतु उपयोग किया जाता है।

वित्त–वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमान 3.16 करोड़ रु. है। वित्त–वर्ष 2018–19 के दौरान सीडब्ल्यूसी को 3.16 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

18.3 केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्लयूसी)

पृष्ठभूमि तथा वक्फ अधिनियम के अधीन सांविधिक उपबंध

केंद्रीय वक्फ परिषद, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में औकाफ का शीर्ष संगठन है, जिसकी स्थापना देश में वक्फ बोर्डों के कार्यकरण से जुड़े मामलों तथा औकाफ के समुचित संचालन से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार की सलाहकारी निकाय के रूप में वक्फ अधिनियम, 1954 में दिए गए उपबंध के अनुसार 1964 में की गई थी। तथापि, परिषद की भूमिका को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के उपरांत व्यापक बना दिया गया है जिसमें उसे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने की शक्तियां प्रदान की गईं हैं। इसके अलावा, यथा संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9(4) के अंतर्गत उपबंध भी शामिल किया गया है जिसमें परिषद को बोर्डों के कार्य–निष्पादन, विशेषकर उनके वित्तीय कार्य–निष्पादन, सर्वेक्षण, राजस्व अभिलेखों, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा–परीक्षा रिपोर्ट आदि के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए बोर्डों/राज्य सरकारों को निदेश जारी करने की शक्तियां सौंपी गई हैं।

वर्तमान संरचना

केंद्रीय वक्फ परिषद में एक अध्यक्ष होता है, जो वक्फ का केंद्रीय प्रभारी मंत्री होता है और अधिनियम में विहित किए गए अनुसार विभिन्न श्रेणियों से ऐसे अन्य सदस्य जिनकी संख्या 20 से अधिक न हो, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकते है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, श्री मुख्तार अब्बास नकवी, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, केंद्रीय वक्फ परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। 12वीं परिषद का गठन यथा संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 की उप धारा(1) और (2) में दिए गए उपबंध के अनुसार 4 फरवरी, 2019 को किया गया। केंद्रीय वक्फ परिषद का कार्यालय केंद्रीय वक्फ भवन, पी–13 एंड 14, सेक्टर–6, पुष्प विहार, फैमिली कोर्ट के सामने, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है।

केंद्रीय वक्फ परिषद के कार्य

- राज्य वक्फ बोर्डों को उनके वित्तीय निष्पादन, सर्वेक्षण, वक्फ विलेखों के रख–रखाव, राजस्व अभिलेख, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के संबंध में निदेश जारी करना।
- बोर्डों के कार्यकरण से संबंधित मामलों तथा औकाफ के समुचित संचालन से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देना।
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यथा संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 के उपबंधों के कार्यान्वयन को

मॉनीटर करना।

- वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं पुनः प्राप्ति तथा अतिक्रमण को हटाने आदि के संबंध में कानूनी सलाह देना।
- शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना को कार्यान्वित करना एवं विकास हेतु संभावित वक्फ भूमि की पहचान करना।
- कौशल विकास हेतु शैक्षणिक एवं महिला कल्याण संबंधी योजना को कार्यान्वित करना तथा गरीबों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना।
- कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना को कार्यान्वित करना।
- यथा संशोधित वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9(4) के अंतर्गत राज्य वक्फ बोर्डों के कार्य– निष्पादन के संबंध में राज्य सरकारों/वक्फ बोर्डों से सूचना मंगाना।
- केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों जैसे कि एएसआई, रेलवे, राजस्व और वन आदि के साथ वक्फ संबंधी मामलों को उठाना।
- परिषद के हितों को प्रोत्साहित करने तथा वक्फ संस्थानों और बोर्ड को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में सुग्राही बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

18.4 राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको)

पृष्ठभूमि :–

वक्फ संपत्तियों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए 500 करोड़ रु. की प्राधिकृत पूंजी के साथ राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको) की स्थापना की गई थी। यह निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है। इसके लिए अधिदेश भारत भर में इच्छुक मुतवल्लियों/राज्य वक्फ बोर्डों की तैयारी पर वक्फ संपत्तियों को विकसित करना है ताकि अल्पसंख्यकों के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों की आय में बढ़ोत्तरी हो सके। निगम का शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार हैः–

संस्थान का नाम	प्रतिशतता (%)
1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	49
2. केन्द्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी)	09
3. खुदरा खंड (कारपोरेट निकायों सहित वक्फ संस्थान एवं जनता)	42
कुल	**100**

I. **<u>वक्फ संपत्तियों की पहचान और उनके विकास के लिए रोडमैप</u> :**

नावाडको भारत भर में लगभग 100 (एक सौ) वक्फ संपत्तियों की पहचान कर पाया है, जिन पर संबंधित वक्फ संस्थानों द्वारा वाणिज्यिक विकास के लिए विचार किया जा सकता है। आवश्यक सांविधिक अनुमोदन की व्यवस्था करने के लिए राज्यों की तैयारी/इच्छा के आधार पर नावाडको द्वारा वित्तीय रूप से व्यवहार्य संपत्तियां ली जा सकती हैं।

नावाडको ने लेन–देन संबंधी परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए विश्वस्तर पर 6 (छह) प्रतिष्ठित अचल संपत्ति एजेंसियों को पैनल में शामिल किया है ताकि राज्य/राज्य वक्फ बोर्डों से मौजूदा वक्फ अधिनियम की धारा 56 के अधीन 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिए जाने के लिए अनुमोदन प्राप्त होते ही वह

स्वयं को तत्काल विकासात्मक प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में रख सके।

वक्फ भूमि पर भी नवाचारी के साथ–साथ अंतराल को पूरा करने वाली योजनाओं के विकास के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा ''प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम(पीएमजेवीके)'' नामक एक योजना शुरू की गई है। नावाडको भी पीएमजेवीके के अधीन अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए अवसर तलाश रहा है।

II. **राज्य वक्फ बोर्डो के साथ करार:–**

(क) पानीपत में एक (1) संपत्ति के लिए 25.02.2019 को हरियाणा वक्फ बोर्ड और नावाडको के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) राजस्थान राज्य वक्फ बोर्ड के साथ सामान्य समझौता–ज्ञापन और परियोजना विशिष्ट समझौता निष्पादित करने के लिए बातचीत अग्रिम दौर में है। अन्य राज्यों में भी परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रयास जारी हैं।

(ग) नावाडको ने बैंगलुरू में तीन (3) वक्फ संपत्तियों को विकसित करने के लिए कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त न होने के कारण तीनों परियोजनाएं अटक गई हैं।

III- **नावाडको के प्रयासों से संबंधित राज्य–वार स्थिति निम्नानुसार है:–**

हरियाणा– हरियाणा वक्फ बोर्ड और नावाडको के बीच दिनांक 25.02.2019 को किए गए करार के परिणाम स्वरूप गांव सिवाह, पानीपत में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ पड़ी एक वक्फ संपत्ति व्यावसायिक विकास के लिए प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना के लिए खुले बाजार से पात्र विकासकर्ताओं का चयन करने के लिए नावाडको के सहयोग हेतु पैनल में रखी गई लेन–देन संबंधी परामर्शी एजेंसियों से भी बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

नावाडको द्वारा पीएमजेवीके योजना के अंतर्गत क्रमशः दिनांक 20.09.2018 और 01.01.2019 को जिला मेवात की एमसीए के अंतर्गत आने वाली दो (2) परियोजनाओं अर्थात् मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज, नूह में बालिका छात्रावास और फिरोजपुर झिरका में नए बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। मंत्रालय से मसौदा त्रिपक्षीय करार पर अनुमोदन की प्राप्ति होने पर इसे संबंधित पक्षों के साथ निष्पादित किया जाना होगा।

उत्तराखंड– नावाडको द्वारा देहरादून, नैनीताल और मसूरी में व्यावसायिक विकास के लिए विभिन्न स्थानों का सुझाव दिया गया है। पीएमजेवीके योजना के अंतर्गत जिला हरिद्वार, उत्तराखंड के एमसीए में ज्वालापुर में वक्फ भूमि खंड पर सद्भाव मंडप, हुनर हब और मार्केट शेड के निर्माण के लिए उत्तराखंड से प्राप्त एक प्रस्ताव दिनांक 14.11.2018 को नावाडको द्वारा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मंत्रालय से मसौदा त्रिपक्षीय करार पर अनुमोदन की प्राप्ति पर इसे संबंधित पक्षों के साथ निष्पादित करना होगा। इस दौरान, प्रक्रियाधीन अन्य परियोजनाएं त्रिपक्षीय करार के लिए प्रारूप के अनुमोदन के प्राप्त न होने के कारण प्रस्तुति के लिए प्रतीक्षाधीन हैं।

राजस्थान– नावाडको द्वारा आयोजित व्यवहार्यता अध्ययन के परिणामस्वरूप जयपुर, कोटा और जोधपुर में वक्फ संपत्तियों के व्यावसायिक विकास के लिए प्रस्ताव राजस्थान वक्फ बोर्ड/राज्य सरकार के विचाराधीन है। यह परियोजना करार के लागू न होने के कारण लंबित पड़ी है जिसके लिए वक्फ बोर्ड द्वारा ऐसा निर्णय लिए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश– यद्यपि वक्फ संपत्तियों के व्यावसायिक विकास के लिए प्रस्ताव अभी राज्य से प्राप्त किए जाने हैं, पीएमजेवीके योजना के अंतर्गत विकास के लिए शामली में बालिका इंटर कॉलेज के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसकी जांच–परख की गई थी और आगे कार्रवाई हेतु टिप्पणी सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास भेजी गई हैं।

कर्नाटक– कर्नाटक औकाफ राज्य बोर्ड ने बंगलूरू में 3(तीन) वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए नावाडको के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। नावाडको द्वारा तैयार की गई भवन संकल्पना योजनाएं वक्फ बोर्ड द्वारा पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं। तथापि, ये परियोजनाएं राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त न होने के कारण रूक गई हैं।

बिहार– बिहार की तीन(3) संपत्तियों का विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से मूल्यांकन करवाया गया था और इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट को वक्फ बोर्ड के साथ भी साझा किया गया था। तथापि, वक्फ बोर्ड आगे कार्रवाई हेतु नावाडको के साथ करार निष्पादित करने के लिए आगे नहीं आया है।

IV- <u>वित्त</u> :–

वित्त वर्ष 2017–18 के लिए सांविधिक लेखा–परीक्षा और सीएजी की लेखा–परीक्षा आयोजित की गई है और तुलन–पत्र समय पर प्रकाशित किए गए। कम्पनी की पांचवीं वार्षिक आम बैठक 26.09.2018 को आयोजित की गई।

माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी की अध्यक्षता में 7 मई, 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय वक्फ सम्मेलन आयोजित किया गया।

अध्याय–19

दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर दरगाह शरीफ, दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर का प्रबंधन

19.1 दरगाह समिति का अधिदेश दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 के उपबंधों एवं इसकी उप विधि 1958 के अनुसार अवसंरचना के विकास के माध्यम से तीर्थयात्रियों को सेवा उपलब्ध कराना है। दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 2069 दिनांक 05.06.2018 और का.आ. 535 दिनांक 04.02.2019 के तहत 5 वर्षों के लिए निम्नलिखित 9 सदस्यों वाली दरगाह समिति का गठन किया है जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क) श्री अमीन पठान

ख) श्री सैयद बाबर अशरफ

ग) श्री सपत खान

घ) श्री सैयद शाहिद हुसैन रिज़वी

ङ) श्री मो. फारूख आज़म

च) श्री मिसबहुल इस्लाम

छ) श्री मुनवर खान

ज) श्री कासिम मलिक

झ) श्री वसीम राहतअली खान

श्री अमीन पठान को समिति के अध्यक्ष के रूप में और श्री सैयद बाबर अशरफ को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

श्री शकील अहमद ने 01.11.2018 को दरगाह समिति, दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर के नाज़िम और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

19.2 दरगाह समिति ज़ायरीन/जनता के लिए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती हैः

i. हजरत ख्वाजा गरीब नवाज़(आर.ए.) के वार्षिक उर्स का प्रबंधन।

ii. दरगाह शरीफ के अंदर मुहर्रम शरीफ का प्रबंधन एवं हजरत बाबा फरीद (आर.ए.) का चिल्ला खोलना।

iii. रमजान के पवित्र महीने के दौरान विशेष सहरी/इफ्तार के प्रबंध के साथ गरीबों के लिए रोजाना लंगर।

iv. धर्मशास्त्र का ज्ञान उपलब्ध कराते हुए दारूल उलूम मोइनिया उस्मानिया दरगाह शरीफ का संचालन।

v. सीबीएसई से कक्षा XII तक मान्यता प्राप्त ख्वाजा मॉडल सेकेण्डरी स्कूल, (अंग्रेजी माध्यम का स्कूल) का संचालन। यह स्कूल धर्मशास्त्र के आधारभूत ज्ञान और नैतिक शिक्षा के साथ–साथ शिक्षा उपलब्ध करा रहा है।

vi. गरीब नवाज़ कंप्यूटर केंद्र का प्रबंधन।

vii. विधवाओं और जरूरतमंद व्यक्तियों को वज़ीफा।

viii. दो अलग–अलग औषधालयों अर्थात् यूनानी और होम्योपैथिक का अनुरक्षण।

ix. चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं अन्य तकनीकी पाठ्यक्रम कर रहे जरूरतमंद और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां।

x. ईदगाह का अनुरक्षण और विभिन्न मस्जिदों को वित्तीय सहायता।

xi. लावारिस शवों को दफनाया जाना।

xii. दरगाह में फिल्टर किए गए पेयजल की व्यवस्था।

xiii. लगभग 179 कमरे के अतिथि गृह का रख–रखाव।

xiv. मौसम के खतरों से 'जायरीन' के संरक्षण के लिए दरगाह परिसर में शामियाना की व्यवस्था करना। इसी तरह उर्स एवं आवधिक धार्मिक समागमों के समय पर भी शेल्टर की व्यवस्था की जाती है।

ख्वाजा गरीब नवाज का 807वां उर्स 8 मार्च, 2019 से 13 मार्च, 2019 तक पारंपरिक उत्साह एवं शानो–शौकत के साथ आयोजित किया गया था।

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–20

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

20.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) 30 सितम्बर, 1994 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अंतर्गत एक लाभ रहित कंपनी के रूप में निगमित की गई थी। एनएमडीएफसी अल्पसंख्यक समुदायों के बीच 'पिछड़े वर्गों' के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए स्व–रोज़गार और आय उत्पन्न करने वाले उद्यमों के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराता है।

20.2 एनएमडीएफसी की योजनाएं यथा आवधिक ऋण, शैक्षिक ऋण, लघु वित्त एवं महिला समृद्धि योजना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइज़िंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं।

20.3 एनएमडीएफसी योजनाओं के अधीन सहायता का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय का पात्रता मानदंड ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,20,000/– रु. है। इसकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एनएमडीएफसी ने थोड़ी उच्च ब्याज दरों पर अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में 6.00 लाख रुपए तक की उच्चतर वार्षिक पारिवारिक आय का पात्रता मानदंड शुरू किया है।

20.4 सरकार ने 2015 में एनएमडीएफसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 1500.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000.00 करोड़ रुपए कर दी है और केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और संस्थानों/व्यक्तियों के लिए शेयर धारण करने की पद्धति भी 65:26:9 से संशोधित करके क्रमशः 73:26:1 कर दी है। भारत सरकार ने 31.01.2019 तक एनएमडीएफसी की केन्द्रीय इक्विटी में 1600.00 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है जबकि राज्यों ने 374.08 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है।

20.5 01.01.2018 से 31.03.2018 तक भारत सरकार ने 'शून्य' अंशदान दिया और राज्य सरकारों ने 1.00 करोड़ रु0 का अंशदान दिया।

20.6 01.01.2018 से 31.03.2018 तक एनएमडीएफसी ने 'सावधि ऋण' और 'लघु वित्त' योजनाओं के अधीन 40,828 लाभार्थियों को 157.43 करोड़ रु0 का ऋण दिया।

20.7 01.01.2018 से 31.03.2019 तक एनएमडीएफसी ने 'सावधि ऋण' और 'लघु वित्त' योजनाओं के अधीन 1,75,690 लाभार्थियों को 761.09 करोड़ रु0 का ऋण दिया।

20.8 ऋण प्रदान करने की गतिविधि के अतिरिक्त, एनएमडीएफसी स्व–रोजगार/वैतनिक रोजगार के लिए लक्ष्यित समूह के क्षमता निर्माण हेतु राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से अपनी संवर्धनात्मक योजनाओं के अधीन कौशल से कुशलता योजना और विपणन सहायता योजना में लक्ष्यित समूह की मदद करता है।

20.9 **उपलब्धियां:**

- 1994 में इसकी शुरुआत से 31.03.2019 तक एनएमडीएफसी ने 15,49,370 लाभार्थियों को 5171.82 करोड़ रुपए का ऋण संवितरित किया है।

- 2017–18 के दौरान 1,29,489 लाभार्थियों को 570.83 रुपए की राशि वितरित की गई।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 (31.03.2019 तक) के दौरान एनएमडीएफसी ने 1,34,862 लाभार्थियों को 603.66 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए हैं।

20.10 **एनएमडीएफसी की योजनाएं एवं कार्यक्रमः** एनएमडीएफसी की मौजूदा रियायती ऋण पद्धति को दो शाखाओं में विभाजित किया गया हैः–

ऋण पद्धति 1:– यह रियायती ऋण की वर्तमान शाखा है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में 98,000 रु. प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में 1,20,000/– लाख रु. प्रतिवर्ष की आय सीमाओं के आधार पर रियायती ब्याज दर पर संवितरित किया जा रहा है।

ऋण पद्धति 2:– अल्पसंख्यक आबादी के 6.00 लाख रु. तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले तबके जिसे भारत सरकार द्वारा ओबीसी के ''क्रीमी लेयर'' मापदंड के आधार पर परिभाषित किया गया है, को रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह उस ब्याज दर पर रियायती ऋण प्राप्त करेगा, जो ऋण पद्धति 1 की ब्याज दर से उच्चतर है।

i. सावधि ऋण योजना

यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। सावधि ऋण योजना के अंतर्गत, वित्तपोषण हेतु 20.00 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाओं (ऋण पद्धति–2 हेतु 30.00 लाख रुपए तक) पर विचार किया जाता है। एनएमडीएफसी परियोजना लागत के 90% तक ऋण प्रदान करता है। परियोजना की शेष लागत का वहन एससीए और लाभार्थी द्वारा किया जाता है। तथापि, लाभार्थी को परियोजना लागत का न्यूनतम 5% अंशदान देना होता है। लाभार्थी से 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ब्याज लिया जाता है। ऋण पद्धति–2 के लिए, पुरूष लाभार्थियों को 8% प्रतिवर्ष तथा महिला लाभार्थियों को 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 30.00 लाख रु. तक दिए जाते हैं।

सावधि ऋण योजनाओं के अंतर्गत वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य एवं तकनीकी रूप से संभव किसी भी उद्यम के लिए सहायता उपलब्ध है, जिसे सुविधा के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया हैः

क) कृषि एवं संबद्ध

ख) तकनीकी ट्रेड

ग) लघु व्यवसाय

घ) कारीगर एवं पारम्परिक व्यवसाय, तथा

ङ) परिवहन एवं सेवायें क्षेत्र

ii. शैक्षणिक ऋण योजना

यह योजना भी वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। एनएमडीएफसी अल्पसंख्यकों से संबंधित पात्र व्यक्तियों के लिए रोजगार आधारित शिक्षा को सुकर बनाने के उद्देश्य से शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराता है। इस योजना के अंतर्गत, पांच वर्षों से अनधिक अवधियों के 'तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों' के लिए ऋण पद्धति 1 और 2 के अधीन 20.00 लाख रुपए

का ऋण उपलब्ध है। इसके अलावा, विदेश के पाठ्यक्रमों के लिए ऋण पद्धति 1 और 2 के अधीन 30.00 लाख रुपए का ऋण अधिकतम 5 वर्ष की पाठ्यक्रम अवधि के लिए उपलब्ध है। इस प्रयोजनार्थ एससीए को 1% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निधियां, लाभार्थियों को 3% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर आगे उधार देने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। ऋण पद्धति–2 के अंतर्गत, एससीए को 2% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निधियां, पुरूष लाभार्थियों को 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर तथा महिला लाभार्थियों को 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार देने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। यह ऋण पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् 6 महीने या रोजगार प्राप्त करने के बाद, जो भी पहले हो, अधिकतम पांच वर्षों में देय है।

iii. लघु वित्त–पोषण योजना

लघु वित्त–पोषण योजना के अंतर्गत, एससीए/एनजीओ के माध्यम से स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को लघु–ऋण दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, स्व–सहायता समूह को प्रति सदस्य अधिकतम 1.00 लाख रु. तक के लघु–ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। गैर सरकारी संगठनों/एससीए को 1% की ब्याज दर पर निधियां दी जाती हैं जो आगे 7% प्रतिवर्ष से अनधिक की ब्याज दर पर स्व–सहायता समूहों को उधार देते हैं। ऋण–पद्धति–2 के अंतर्गत, स्व–सहायता समूह को प्रति सदस्य को 1.50 लाख रु., पुरूष लाभार्थियों के लिए 10% प्रतिवर्ष तथा महिला लाभार्थियों के लिए 8% प्रतिवर्ष से अनधिक की ब्याज दर पर दिया जाता है। योजना के अंतर्गत ऋण वापसी की अवधि अधिकतम 3 वर्ष है।

iv. महिला समृद्धि योजना

यह एक अनूठी योजना है जो लघु ऋण को स्व–सहायता समूहों में शामिल महिलाओं की महिला अनुकूल ट्रेडों जैसे टेलरिंग, कटिंग और एम्ब्रायडरी इत्यादि में कौशल प्रशिक्षण से जोड़ती है। यह एनएमडीएफसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से एनएमडीएफसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत, महिला अनुकूल किसी उपयुक्त शिल्प क्रियाकलाप में लगभग 20 महिलाओं के समूह को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान ही महिलाओं का स्व–सहायता समूह बना दिया जाता है। बाद में, इस प्रकार गठित स्व–सहायता समूह के सदस्यों को लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि छहः माह है और प्रशिक्षण के अधिकतम खर्च प्रति प्रशिक्षणार्थी 1500 रुपए प्रतिमाह है। प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षणार्थियों को 1000 रुपए प्रतिमाह का वजीफा भी दिया जाता है। प्रशिक्षण लागत और वजीफे के खर्च की पूर्ति एनएमडीएफसी द्वारा अनुदान के रूप में की जाती है। प्रशिक्षण के उपरान्त, इस तरह बनाए गए स्व–सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर अधिकतम 1.00 लाख रुपए की सीमा के अध्यधीन आवश्यकता आधारित लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

20.11 एनएमडीएफसी की संवर्धनात्मक योजनाएं

i. **कौशल से कुशलता योजनाः** एनएमडीएफसी की कौशल से कुशलता योजना का उद्देश्य लक्ष्यित व्यक्तिगत लाभार्थियों को कौशल प्रदान करना है, जिससे उन्हें स्व/वैतनिक रोजगार मिले। यह योजना राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)/संबंधित क्षेत्र कौशल परिषद/राज्य कौशल मिशन/तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा पैनलबद्ध एजेंसियों की सहायता से अपने राज्यों में जरूरत के आधार पर कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करती हैं जिसे अधिमानतः एनएसडीसी स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से प्रत्यायित किया जाए।

ii. **विपणन सहायता योजनाः** विपणन सहायता योजना व्यक्तिगत शिल्पकारों, एनएमडीएफसी के लाभार्थियों के साथ–साथ एसएसजी के लिए है और एससीए के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। शिल्पकारों

के उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने और लाभकारी कीमतों पर बिक्री हेतु उनकी सहायता के उद्देश्य से, एनएमडीएफसी चुनिन्दा स्थानों पर राज्य/जिला स्तर की प्रदर्शनियां आयोजित करने में एससीए की मदद करता है। इन प्रदर्शनियों में अल्पसंख्यक शिल्पकारों के हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता तथा बेचा जाता है। प्रदर्शनी के दौरान, स्टॉल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और शिल्पकारों को योजना के अनुसार टीए/डीए भी प्रदान किया जाता है। ऐसी प्रदर्शनियों से ''क्रेता–विक्रेता समागम'' का प्रयोजन भी सिद्ध होता है, जिसे घरेलू बाजार के साथ–साथ निर्यातों के लिए उत्पाद विकास और बाजार संवर्धन के लिए अत्यधिक उपयोगी समझा जाता है। एनएमडीएफसी प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए एससीए को अनुदान प्रदान करता है।

माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में 17 जुलाई, 2018 को एनएमडीएफसी की एससीए के लिए वित्तीय प्रबंधन पर कार्यशाला का उद्घाटन

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–21

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

21.1 **भूमिकाः** मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। एमएईएफ की स्थापना जुलाई, 1989 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी और यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित है। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं और संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमएईएफ के प्रभारी) भी एमएईएफ के पदेन सदस्य हैं। एमएईएफ की आम सभा में 15 सदस्य होते हैं जिनमें छह सदस्य पदेन होते हैं और नौ सदस्यों को एमएईएफ के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। एमएईएफ का प्रबंधन इसके शासी निकाय के सुपुर्द है।

21.2 **संसाधनः** एमएईएफ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजना है। प्रतिष्ठान को अब तक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से 1362.00 करोड़ रु. की कुल समग्र निधि प्राप्त हुई है जिसका अर्थ है कि मूलधन की राशि बरकरार रहेगी और समग्र निधि के निवेश से एकत्रित ब्याज का उपयोग प्रतिष्ठान द्वारा अपनी शैक्षणिक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया जाएगा। बैंकों में सावधि जमा के रूप में मौजूदा समग्र निधि के निवेश से एमएईएफ प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रु. की ब्याज आय अर्जित करता है।

21.3 **एमएईएफ की योजनाएं**

एमएईएफ निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा हैः

1. गैर–सरकारी संगठनों को शैक्षणिक संस्थानों के अवसंरचना विकास हेतु सहायता अनुदान
2. अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी लड़कियों हेतु बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
3. नई मंजिल योजना के अंतर्गत ब्रिज पाठ्यक्रम
4. अल्पसंख्यकों हेतु गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण

एनजीओ को सहायता–अनुदानः इस योजना के अंतर्गत, एमएईएफ एनजीओ को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता हैः–

- स्कूल भवनों का निर्माण/विस्तार,
- छात्रावास भवनों का निर्माण,
- बी.एड./डी.एड. कॉलेजों का निर्माण/विस्तार,
- तकनीकी संस्थानों/वीटीसी का निर्माण,
- प्रयोगशाला उपकरणों, फर्नीचर आदि की खरीद।

इस योजना से छोटे संस्थानों को अपनी अवसंरचना का विस्तार करने में मदद मिली है जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्यित समूह के बीच शैक्षणिक क्रियाकलापों में समग्र रूप से सुधार हुआ है। यह एक ऐसी अनूठी योजना है जो एमएईएफ द्वारा सीधे राज्य सरकार अथवा अन्य बाहरी एजेंसी के हस्तक्षेप के बिना कार्यान्वित की जाती

है। अब चालू वर्ष से, इस योजना को ऑनलाइन बना दिया गया है जिससे प्रस्तावों पर यथासमय कार्रवाई करने और उसकी बेहतर मॉनीटरिंग में मदद मिलेगी। एमएईएफ ने चालू वर्ष 2018–19 में 64 एनजीओ को 10.32 करोड़ रु. सहायता–अनुदान के रूप में स्वीकृत किए हैं।

(ii) **बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्तिः** एमएईएफ ने यह छात्रवृत्ति योजना 2003–04 में आरंभ की थी। अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी लड़कियों के लिए उनकी उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा अर्थात् कक्षा 11 और 12 हेतु राष्ट्रीय स्तर की यह पहली छात्रवृत्ति योजना थी। इस योजना से न केवल अल्पसंख्यक लड़कियों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिला है अपितु इसके परिणामस्वरूप उनकी साक्षरता दर में समग्र सुधार भी हुआ है। अब एमएईएफ कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक बालिकाओं को भी छात्रवृत्ति दे रहा है। एमएईएफ कक्षा 9 और 10 के लिए प्रत्येक 5000/– रु. और कक्षा 11 और 12 के लिए प्रत्येक 6000/– रु. की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

आवदेन आनलाइन प्रस्तुत किए जाते हैं और छात्रवृत्तियों की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाती है। एमएईएफ को चालू वर्ष 2018–19 के दौरान छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4.95 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2018–19 में 110 करोड़ रु. के बजट प्रावधान के साथ 2.00 लाख बालिकाओं को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य है। एमएईएफ द्वारा छोटे राज्यों को 2018–19 के लिए छात्रवृत्तियां पहले ही जारी कर दी गई हैं।

(1) **नई मंजिल के अंतर्गत मदरसा छात्रों हेतु ब्रिज पाठ्यक्रमः** ब्रिज पाठ्यक्रम के अधीन इंटरमीडियट के समकक्ष एक वर्ष का पाठ्यक्रम मदरसा छात्रों के साथ–साथ स्कूल ड्रापआउट्स को उपलब्ध करवाया जाता है जिससे वे विश्वविद्यालयों में उच्च कक्षाओं में प्रवेश लेने में समर्थ हो सकें। ब्रिज पाठ्यक्रम से मदरसा छात्रों/स्कूल ड्रापआउट्स को अपनी मुख्यधारा की शिक्षा जारी रखने में सहायता मिली है। चालू वर्ष 2018–19 के लिए 200 लाभार्थियों का लक्ष्य है और इस प्रयोजनार्थ 2.20 करोड़ रु. का कुल परिव्यय है।

(2) **अल्पसंख्यकों हेतु गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षणः** एमएईएफ ने वर्ष 2017–18 से गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण नामक नई योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अधीन अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न अल्प अवधि के जॉब उन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि उन्हें कौशल आधारित रोजगार के लिए समर्थ बनाया जा सके। यह योजना पैनलबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडी एण्ड ई) के सामान्य मानदंडों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है।

एमएईएफ ने देश के विभिन्न भागों में 92,800 लाभार्थियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए 95 पीआईए को पहले ही 282.59 करोड़ रु0 की राशि स्वीकृत की है।

21.4 **स्वच्छता पहलः** स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए ''स्वच्छता ही सेवा'' नामक एक कार्यक्रम एमएईएफ के परिसर में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर एमएईएफ के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों ने स्वच्छता हेतु श्रमदान दिया।

21.5 **शिक्षा सुविधा केन्द्रः** एमएईएफ ने जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में कायद विश्रामस्थली, अजमेर (राजस्थान) में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों की आम जानकारी के लिए एक शैक्षिक सुविधा केन्द्र स्थापित किया है।

21.6 **वर्ष 2018–19 के दौरान एमएईएफ के अन्य क्रियाकलापः**

- **स्कूलों/सामुदायिक कॉलेजों/राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापनाः** एमएईएफ ने अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षणिक

संस्थानों की स्थापना की देख–रेख के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। उक्त समिति की रिपोर्ट को एमएईएफ की आम सभा द्वारा अंगीकार किया गया। अपनी रिपोर्ट में समिति ने एमएईएफ द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए स्थापित किए जाने वाले शैक्षणिक संस्थानों की पिरामिड संरचना की अनुशंसा की है जिसमें 211 केंद्रीय विद्यालय निचले स्तर पर, 25 सामुदायिक कॉलेज मध्यम स्तर पर तथा 5 राष्ट्रीय संस्थान शीर्ष स्तर पर हों। प्रस्तावित शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। निर्माण कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा एमएसडीपी के अंतर्गत कराया जाएगा तथा आवर्ती/चालू व्यय एमएईएफ द्वारा वहन किया जाएगा।

- राजस्थान सरकार ने इस प्रयोजनार्थ एमएईएफ को लागत आधार पर गांव कोहरापीपली, तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर में स्थित 15 एकड़ भूमि आबंटित की है। एमएईएफ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के परामर्श से इन संस्थानों के लिए कार्यविधियों पर कार्य कर रहा है।

➢ **मंत्रालय की सीखो और कमाओ योजना का कार्यान्वयनः** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2018–19 के लिए अपनी सीखो और कमाओ योजना के अधीन एमएईएफ को 9500 लाभार्थियों (प्रशिक्षार्थियों) का लक्ष्य आबंटित किया है।

➢ **3टी योजना के अधीन मदरसा अध्यापकों का प्रशिक्षणः** एमएईएफ ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों से 38 मदरसा अध्यापकों के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम से मदरसा अध्यापकों को अपने संस्थानों में आधुनिक शिक्षण तकनीकें इस्तेमाल करने में सहायता मिली है जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

➢ **मंत्रालय की हमारी धरोहर योजना का कार्यान्वयनः** एमएईएफ ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की हमारी धरोहर योजना के अधीन चालू वर्ष 2018–19 के दौरान दिल्ली और मुंबई में ''मुशायरा'' आयोजित किया है।

मदरसा छात्रों और स्कूल ड्रापआउट्स के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम प्रमाण-पत्र वितरण और काउंसलिंग सत्र।
यह पाठ्यक्रम जामियां मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली के माध्यम से मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा चलाया जाता है।

दिल्ली यूनाइटेड क्रिश्चियन उच्च माध्यमिक विद्यालय दिल्ली – एनएमडीएफसी के सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर लैब का लोकार्पण

गुरू हरकिशन पब्लिक स्कूल तिलक नगर दिल्ली – एनएमडीएफसी के सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर लैब का लोकार्पण

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–22

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

22.1 अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता को देखते हुए और त्वरित सामाजिक–आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए मई 1983 में तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक विशेष 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने, संसद के समक्ष 24.02.1992 को अपने अभिभाषण में घोषणा की कि कार्यक्रम को उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और अधिक कारगर बनाए जाने हेतु उसमें फेरबदल किया जाएगा। यह महसूस किया गया कि कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे और अधिक कारगर बनाए जाने हेतु, कार्यक्रम में फेरबदल अपेक्षित थे तथा उन क्षेत्रों में जो, अल्पसंख्यकों हेतु निरंतर चिंता के विषय रहे थे, की व्याख्या की जानी अपेक्षित थी। कार्यक्रम में फेरबदल करने की कवायद 1993 से 1995 की अवधि के दौरान आरंभ की गई। तथापि, इस मामले में निर्णय आस्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) द्वारा उनकी पहली और दूसरी वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए सुझावों तथा दिसंबर, 1996 में स्थापित की गई राज्यपालों की समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के मद्देनजर कार्यक्रम के संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया और संशोधित 15 सूत्री कार्यक्रम के विशिष्ट संदर्भों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा आर्थिक सुधार हेतु रोजगार के अवसरों के अतिरिक्त विषयों को शामिल करने की मांग की गईं। तथापि, इस मामले में निर्णय को जून, 1999 में पुनः आस्थगित कर दिया गया।

22.2 इसी बीच, यह महसूस किया गया कि अल्पसंख्यकों को पेश आ रही दिक्कतों पर एक बार फिर नजर डाली जाए तथा शेष समुदायों के समतुल्य उनके समूचे सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में सभी के लिए उपलब्ध सुविधाओं एवं अवसरों की सुलभता हेतु तथा देश के तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए उन्हें समुचित रूप से सशक्त बनाया जाए। इसी पृष्ठभूमि में, सरकार ने मौजूदा 15 सूत्री कार्यक्रम पर पुनर्विचार करने तथा उसे अल्पसंख्यकों के तीव्र सामाजिक–आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने तथा समाज के सभी वर्गों में विश्वास एवं सद्भाव का परिवेश तैयार करने के लिए उसे और प्रभावी माध्यम बनाने का निर्णय किया। इस मामले में कई मंत्रालयों/विभागों के साथ गहन परामर्श किए गए।

22.3 तत्पश्चात्, महामहिम राष्ट्रपति ने दिनांक 25.02.2005 को संसद के संयुक्त सत्र के अपने अभिभाषण में घोषणा की कि सरकार कार्यक्रम विशिष्ट क्रियाकलापों को शामिल करने के मद्देनजर अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम में संशोधन करेगी। परिणामस्वरूप, माननीय प्रधानमंत्री ने 2005 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अभिभाषण में अन्य बातों के अलावा घोषणा की कि ''हम अल्पसंख्यकों हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम को भी संशोधित एवं नवीकृत करेंगे। नए 15 सूत्री कार्यक्रम में निश्चित लक्ष्य होंगे जिन्हें निश्चित समय–सीमा के भीतर प्राप्त करना होगा।'' इन प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में, पूर्व के कार्यक्रम को अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ''प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम'' (पीएम न्यू 15–पीपी) के रूप में संशोधित किया गया; तथा जून, 2006 में इसकी घोषणा कर दी गई।

उद्देश्य

22.4 **प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित अनुसार हैं:**

(i) शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना;

(ii) मौजूदा एवं नई योजनाओं के जरिए आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए उचित हिस्सा सुनिश्चित करना, स्व–रोजगार के लिए बढ़ी हुई ऋण सहायता और राज्य तथा केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती;

(iii) अवसंरचना विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए उपयुक्त हिस्सा सुनिश्चित करते हुए उनके रहन–सहन की स्थितियों में सुधार करना; और

(iv) सांप्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम तथा नियंत्रण।

22.5 **कार्यक्रम में निम्नानुसार कुल 15 बिंदु शामिल किए गए हैं:–**

प्रमुख घटक	**बिंदु**
शिक्षा के अवसर बढ़ाना	आईसीडीएस सेवाओं की समान उपलब्धता
	स्कूली शिक्षा तक पहुंच में सुधार: (क) सर्व शिक्षा अभियान (ख) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना
	उर्दू सिखाने के लिए अधिक संसाधन
	मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण
	अल्पसंख्यक समुदायों से मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति: (क) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति (ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना में सुधार
आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में समान हिस्सेदारी	गरीबों के लिए स्व–रोजगार और वैतनिक मजदूरी: (क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) (ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)
	तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल का उन्नयन
	आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण सहायता में वृद्धि
	राज्य और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती
अल्पसंख्यकों के रहने की स्थितियों में सुधार करना	ग्रामीण आवास योजना में समान हिस्सेदारी
	अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा बसाई गई मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार
सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम और नियंत्रण	सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम
	सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन
	सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास

योजनाएं/पहलें

22.6 प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के आरंभ होने के समय, इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों/विभागों

की 24 योजनाओं/पहलों को कवर किया था। तथापि, कुछ अवधि बीत जाने के उपरांत कुछ योजनाएं/कार्यक्रम/पहलें या तो खत्म कर दी गई या वे अपनी क्षमता के अधिकतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत 20 योजनाएं/कार्यक्रम/पहलें कवर की गई है।

प्रगति/उपलब्धियां

2018–19 के दौरान प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं में की गई प्रगति निम्नलिखित अनुसार हैः

क्र. सं.	योजना/पहल	वास्तविक		वित्तीय (करोड़ में)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(i).	**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**				
	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	30,00,000	56,12,000	–	1250.81@
	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	5,00,000	6,54,000	–	405.75@
	मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	60,000	1,01,000	–	267.84@
	शिक्षा के प्रचार के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजनाएं	1,000	#	–	97.85
	नया सवेरा – निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	12,000	10,097	74	44.61
	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की ऋण योजनाएं	75,000	1,3,862	–	60,366
	मेधावी छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना	2,00,000	2,00,000	110	110
	शैक्षणिक संस्थानों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	–	64	–	10.32
(ii)	**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**				
	समग्र शिक्षा	–	–	30,891.81	18,760.28
	मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम)	सहायता प्रदान किए गए मदरसों की सं.– 8562 सहायता प्रदान किए गए शिक्षकों की सं.– 24507 कवर किए गए संस्थानों की सं.– 38		रु. 18.25 करोड़	

(iii)	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**				
	पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण अभियान)	राष्ट्रीय पोषण अभियान फेज–2 के अंतर्गत उन क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक जनसंख्या की सघनता 25% या उससे अधिक है, 332 सीडी ब्लॉक कवर किए गए हैं।			
(iv)	**ग्रामीण विकास मंत्रालय**				
1.	दीन दयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डीएवाई– एनआरएलएम (पहले एसजीएसवाई/आजीविका)				
	(क) संवर्धित स्व–सहायता समूहों की संख्या	1,21,526	1,04,302	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ख) चक्रिय निधि के लिए स्व–सहायता समूहों की संख्या	1,12.240	1,12.240	164.55	164.55
	(ग) सामुदायिक निवेश निधि के लिए स्व–सहायता समूहों की संख्या	68,548	68,548	416.42	416.42
2.	प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) (पहले : इंदिरा आवास योजना)	2,16,839	2,90,192	2602.07	4995.00
3.	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेवाई)	30,000	31,479	लागू नहीं	लागू नहीं
(v).	**वित्तीय सेवा विभाग**				
	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत बैंक ऋण (31.12.2018 को संचयी)	-	-	4,01,642	3,15,570
	प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (31.12. 2018 की स्थिति के अनुसार)	-	35,08,321	-	16,317
(vi).	**आवास कार्य मंत्रालय**				
	दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन				
	(क) बैंक लिंकेज के अंतर्गत कवर किए जाने वाले स्व–सहायता समूहों में लाभार्थी	37,500	88,616	-	6.64
	(ख) बनाए गए चि–सहायता समूहों में कवर किए गए लाभार्थी	45,000	73.543	-	73.54

	(ग) लघु उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता दिए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या (व्यक्ति और दल)	3,750	12,116	-	2.57
(vii).	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**	राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान	235 एमसीडी को कवर किया गया था जहां अल्पसंख्यक बहुल जिलों में प्रति लाख जनसंख्या पर 83,445 से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का सृजन किया गया था।		
(viii).	**पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय. जल कार्यक्रम (एनआरडी डब्ल्यूपी)	एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में कुल 9,892 बस्तियों को कवर किया गया।		
(ix)	**गृह मंत्रालय**	सामुदायिक सद्भाव पर दिशा–निर्देश – गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना	2018 के दौरान देश में 708 सामुदायिक घटनाओं के बारे में सूचना दी गई थी जिनमें 116 व्यक्ति मारे गए और 2043 व्यक्ति घायल हुए।		

@ स्वीकृत (अनंतिम आंकड़ें) **#1000 अध्येतावृत्तियों के लिए यूजीसी द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।**

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–23

सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई

23.1 भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में मार्च, 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी।

➢ इस समिति से संबंधित मुख्य तथ्य निम्नानुसार हैं:

- सच्चर समिति का गठन – 9 मार्च, 2005
- रिपोर्ट प्रस्तुत – 17 नवम्बर, 2006
- संसद में प्रस्तुत – 30 नवम्बर, 2006
- मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई की सूची – 17 मई, 2007
- सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में संसद के दोनों सदनों में एक विवरण रखा गया था– 31 अगस्त, 2007
- मई 2007 से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है (जब से मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृत किया)।

➢ **रिपोर्ट में कुल अनुशंसाएं/सुझाव – 76**

- 72 अनुशंसाएं स्वीकृत
- 3 अनुशंसाएं स्वीकृत नहीं की गई थी।
- 1 अनुशंसा आस्थगित कर दी गई थी।

<u>अस्वीकृत/आस्थगित अनुशंसाएं</u>

निम्नलिखित तीन अनुशंसाओं को सरकार ने नहीं स्वीकारा था:–

I. जातियों/वर्गों की गणना दशकीय जनगणना की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाना।

II. राज्य वक्फ बोर्डों और केन्द्रीय वक्फ परिषद की कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रखने हेतु अधिकारियों के नए अखिल भारतीय संवर्ग का सृजन किया जाना।

III. सभी सामाजिक, धार्मिक समुदायों में अति पिछड़े लोगों को नियमित विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों में प्रवेश सुलभ कराने हेतु वैकल्पिक प्रवेश मानदंड का प्रावधान किया जाना।

''अरजलों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना अथवा कम–से–कम अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे में से ही अलग बनाए गए अति पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाने'' की अनुशंसा आस्थगित रखी गई।

23.2 सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा लिए गए सभी 43 निर्णयों को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु 43 निर्णयों के रूप में समूहबद्ध किया गया है। सच्चर समिति की रिपोर्ट पर सरकार का निर्णयों की अनुशंसा–वार कार्यान्वयन दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है:–

क्रम सं.	सरकार के निर्णय का सार	कार्यान्वयन की स्थिति
I. शिक्षा		
(i).	सच्चर समिति द्वारा बताए गए मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन का समाधान बहुआयामी कार्यनीति के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्यनीति में मुस्लिम बालिकाओं को शिक्षा की सुलभता को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। –मानव संसाधन विकास मंत्रालय	कार्यान्वित। तथापि, कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।
(ii)	मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में विशेषकर मुस्लिम बालिकाओं के लिए उच्चतर प्राथमिक स्कूलों की आउटरीच को यथापेक्षित "केवल बालिकाएं" स्कूलों के माध्यम से तथा आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) प्राथमिकता आधार पर खोलते हुए विस्तार किया जाएगा। –मानव संसाधन विकास मंत्रालय	कार्यान्वित। तथापि, कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।
(iii)	माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य के अनुसरण में, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जहां भी ऐसे स्कूलों की जरूरत है, वहां माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले जाने को प्राथमिकता दी जाएगी। –मानव संसाधन विकास मंत्रालय	कार्यान्वित। तथापि, कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।
(iv).	व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए सभी मुस्लिम बहुल जिलों में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। समग्र साक्षरता दर विशेषकर मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए इन जिलों में विशेष साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। –मानव संसाधन विकास मंत्रालय	कार्यान्वित। तथापि, कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।
(v)	मुस्लिम बहुल आबादी वाले उन सभी जिलों में नए जन शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, जो अब तक ऐसे संस्थानों द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। –मानव संसाधन विकास मंत्रालय	कार्यान्वित। तथापि, कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।
(vi)	मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ब्लॉक इंस्टीट्यूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन (बीआईटीई) खोले जाएंगे ताकि अध्यापकों को प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सैकेन्ड्री स्तर पर सेवा से पहले और सेवा के दौरान प्रशिक्षण दिया जा सके। –मानव संसाधन विकास मंत्रालय	कार्यान्वित। तथापि, कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।
(vii)	कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावास खोले जाने के लिए 11वीं योजना के दौरान आंवटन में और वृद्धि की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला छात्रावास खोले जाने की ओर विशेष ध्यान देगा। –मानव संसाधन विकास मंत्रालय	कार्यान्वित। तथापि, कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।

(viii)	क्षेत्र उन्मुख और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी और इस कार्यक्रम के तहत सहायता हेतु पात्र घटकों को बढ़ावा देने के लिए योजना में संशोधन किया जाएगा। –मानव संसाधन विकास मंत्रालय	कार्यान्वित। तथापि, कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।
(ix)	मध्याह्न भोजन योजना में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शामिल किया जा रहा है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े सभी मुस्लिम बहुल ब्लॉकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। –मानव संसाधन विकास मंत्रालय	कार्यान्वित। तथापि, कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।
(x)	विद्यमान स्कूलों और समुदाय भवनों का इस्तेमाल संध्याकालीन ''अध्ययन केन्द्र'' के रूप में किया जा सकता है तथा मौजूदा शिक्षकों को उन छात्रों तथा छात्राओं को मानदेय आधार पर पढ़ाने के लिए रखा जा सकता है जो अपने संरक्षक के साथ आ सकें। –मानव संसाधन विकास मंत्रालय	कार्यान्वित।
(xi)	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा –2005 में भारतीय संविधान के तहत वर्णित सामाजिक न्याय, समता और धर्म निरपेक्षता जैसे मूल्यों के आधार पर बहुलवादी समाज में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की परिकल्पना की गई है। पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा–2005 के अनुसार संशोधन किया जा रहा है। –मानव संसाधन विकास मंत्रालय	कार्यान्वित।
(xii)	उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र आबादी का पूल मुस्लिमों की अपेक्षा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसकी आगे जांच की जाएगी। –मानव संसाधन विकास मंत्रालय	कार्यान्वित।
(xiii)	अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा प्रदान किया जाना और अधिक अनुक्रियाशील बनाने के लिए एक तंत्र पहले से कार्यरत है। मदरसों की शिक्षा को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए समकक्ष माने जाने के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट होता रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने मदरसा शिक्षा को पहले ही मान्यता प्रदान कर रखी है। –मानव संसाधन विकास मंत्रालय	कार्यान्वित।
(xiv)	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं, कोचिंग और संबद्ध योजना तथा शिक्षा के विकास हेतु अन्य योजनाएं लागू की जाएंगी। –अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	कार्यान्वित।
(xv).	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि में वृद्धि की जाएगी तथा इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार कर उसे कारगर बनाया जाएगा। –अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	कार्यान्वित।

II कौशल विकास		
(i).	मुस्लिमों में कौशल विकास के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम बनाने और उसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र आधारित उद्योग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (बैंकिग) और औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक अंतरमंत्रालयी ग्रुप गठित किया जाएगा ताकि बहुत–सी योजनाओं का लाभ लक्ष्यित लाभार्थियों को त्वरित एवं समुचित ढंग से प्राप्त हो सके। कौशल और उद्यमिता विकास की जरूरत की पूर्ति के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। –नीति आयोग	कार्यान्वित।
(ii).	नाबार्ड और सिडबी को परम्परागत व्यवसायों में दस्तकारों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें आधुनिक कौशलों से पुनः सज्जित करने के लिए विशेषकर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में, ईडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निधियां निर्धारित करने की सलाह दी जाएगी। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की योजना बनाने और निगरानी के लिए गठित एक अंतर–मंत्रालयी समूह उनकी योजना में इसे एकीकृत करने की जांच करेगा। – वित्तीय सेवाएं विभाग।	कार्यान्वित।
III ऋण सुलभता		
(i)	मुस्लिमों के लिए ऋण सुलभता की पहुंच महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समुदाय की बड़ी आबादी स्व–रोजगार क्रिया–कलापों में लगी है। जिला योजना बनाते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुस्लिमों को आसानी और सुविधा के साथ पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो। –वित्तीय सेवाएं विभाग	कार्यान्वित।
(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में और अधिक शाखाएं खोलने की सलाह दी जाएगी। –वित्तीय सेवाएं विभाग	कार्यान्वित।
(iii)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदनों के निपटान की नियमित रूप से निगरानी करेंगे और आवेदनों के अस्वीकृति के कारण भी बताएंगे ताकि आवेदक अपने आवेदनों की स्थिति के बारे में जानकारी हेतु पूरे अधिकारों का प्रयोग कर सकें। जिला–वार और बैंक–वार आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। – वित्तीय सेवाएं विभाग	कार्यान्वित।

(iv).	भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यक अनुदेश पहले ही जारी किए हैं कि वे मुस्लिमों को विशिष्ट रूप से प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करें, प्रचार के माध्यम से विभिन्न ऋण योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजित करें और उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करें। – वित्तीय सेवाएं विभाग	कार्यान्वित।
(v).	मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा विशेष रूप से क्लस्टरों में महिलाओं के बीच लघु वित्त को प्रोत्साहित किया जायेगा। – वित्तीय सेवाएं विभाग तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	कार्यान्वित।
(vi).	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की पुनर्संरचना की जाएगी ताकि इसे हस्तक्षेप कार्रवाई का और अधिक कारगर साधन बनाया जा सके। – अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	कार्यान्वित।
IV विशेष विकास पहलें		
(i).	मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने तथा रोजगार के अवसरों में सुधार लाने के लिए चिन्हित पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। –अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	कार्यान्वित।
(ii)	योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में गठित अंतर–मंत्रालयी कार्य बल द्वारा 50,000 से अधिक और कम से कम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले अभिज्ञात 338 नगरों एवं शहरों में नागरिक सुविधाओं, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों में व्याप्त कमियों को दूर करने संबंधी कार्यनीति की अनुशंसा की जायेगी। –योजना आयोग और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	कार्यान्वित।
V. सकारात्मक कार्रवाई हेतु उपाय :		
(i)	समान अवसर आयोग (ईओसी) की संरचना और प्रकार्यों की जांच और निर्धारण के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाएगा। – अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	कार्यान्वित नहीं। मंत्रिमंडल ने दिनांक 20.02.2014 को आयोजित बैठक में समान अवसर आयोग की स्थापना को अनुमोदित किया। तथापि, अंतर मंत्रालयी परामर्श के दौरान गृह मंत्रालय एवं व्यय विभाग से अलग अलग मत प्राप्त हुए और उनकी जांच की जा रही है।

(ii)	जीवनयापन, शिक्षा और कार्य स्थलों में विविधता को बढ़ावा देने के लिए समुचित "विविधता सूचकांक" की अनुशंसा करने हेतु एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाएगा। –अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि विविधता सूचकांक को ईओसी में विलय करने का प्रस्ताव था।
(iii)	एक राष्ट्रीय डाटा बैंक की स्थापना की जाएगी, जहां विभिन्न सामाजिक–धार्मिक समुदायों के लिए संगत आंकड़ों का रख–रखाव किया जाएगा – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	कार्यान्वित
(iv)	राष्ट्रीय डाटा बैंक द्वारा रखे जा रहे आंकड़ों के मूल्यांकन के लिए योजना आयोग में एक स्वायत्त मूल्यांकन और निगरानी प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। – योजना आयोग	कार्यान्वित नहीं। योजना आयोग ने उस कार्यालय में एएमए की स्थापना को स्वीकार नहीं किया है। यह सिफारिश की गई थी कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में एएमए की स्थापना की जा सकती है। तथापि, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एएमए को स्थापित करने की संभावना तलाशी जा रही है।
VI. वक़्फ		
(i).	भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन वक्फों की सूची की समीक्षा के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय वक्फ परिषद के साथ एक वार्षिक बैठक की जाएगी। – संस्कृति मंत्रालय	कार्यान्वित। तथापि, कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।
(ii)	वक्फों को गरीबों के कल्याण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु समर्थ बनाने के लिए वक्फ संपत्तियों के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक उपयुक्त एजेंसी गठित की जाएगी। – अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	कार्यान्वित।
(iii)	(क) वक़्फों से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसाएं प्राप्त होने के बाद वक्फ अधिनियम में संशोधन हेतु एक विधेयक संसद में लाया जाएगा। (ख) मॉडल वक़्फ नियमावली तैयार की जाएगी तथा जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसी नियमावली नहीं बनाई है, उन्हें अग्रसारित की जाएगी। – अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	कार्यान्वित।

(iv)	राज्यों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन पर विचार करें ताकि वक्फ संपत्तियों को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जा सके। – शहरी विकास मंत्रालय (अब आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय)	कार्यान्वित।
VII विविध मुद्दे		
(i)	असंगठित क्षेत्र के कामगारों, जिसमें अन्य के साथ–साथ घरेलू कामगार शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसद में एक विधेयक लाया जाएगा। – श्रम और रोजगार मंत्रालय	कार्यान्वित।
(ii)	परिसीमन अधिनियम की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है तथा सच्चर समिति की रिपोर्ट में व्यक्त चिंताओं पर समीक्षा के दौरान विचार किया जाएगा। – विधि और न्याय मंत्रालय	कार्यान्वित।
(iii)	सरकारी कार्मिकों, विशेषकर फील्ड स्टाफ को जागरूक बनाने के लिए समुचित प्रशिक्षण माड्यूल, फिल्में और सामग्री तैयार की जाएगी और उन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उनका प्रयोग सेवा में प्रवेश के दौरान तथा सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जा सके। – कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	कार्यान्वित।
(iv)	संसद, साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और प्रभावितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 पारित करने का विचार कर रही है। इसमें निवारण स्वरूप दांडिक उपबंधों, दंगा पीड़ितों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति के लिए तंत्र और विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान है। – गृह मंत्रालय	कार्यान्वित नहीं।
(v)	सामाजिक समावेशन की जरूरत पर बल देने के लिए एक मल्टी–मीडिया अभियान चलाया जाएगा। – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	कार्यान्वित।
(vi).	राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया जाएगा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम स्वास्थ्य कर्मी और शिक्षक तथा थानों में मुस्लिम पुलिस कर्मी की नियुक्ति की अनुशंसा पर विचार करें। गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग समुचित दिशा–निर्देश जारी करेंगे। इसकी निगरानी के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नोडल विभाग होगा। – कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	कार्यान्वित।
(vii).	शुरू में, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नागरिक अधिकार केन्द्रों की स्थापना की जाएगी ताकि सामाजिक समावेशन की महत्ता को बढ़ावा दिया जा सके। – मानव संसाधन विकास मंत्रालय	कार्यान्वित।

(viii)	अल्पसंख्यक बहुल नगरों और शहरों में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), छोटे और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी), एकीकृत आवास एवं स्लम सुधार कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत धनराशि प्रवाह को सुगम बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों और शहरों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) में नए 15 सूत्री कार्यक्रम में यथापरिकल्पित अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल किये जा सकें। – आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	कार्यान्वित। तथापि, कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।
(ix)	राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाएगी कि आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल की तर्ज पर स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाएं। – पंचायती राज मंत्रालय तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	कार्यान्वित।
x	पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों, ब्लॉकों और नगरों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजना संबंधी सूचना का प्रसार उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा। गर्भनिरोध के संबंध में अनेक विकल्प भी उपलब्ध कराए जाएंगे तथा ऐसी सेवाएं सुलभ कराना सुनिश्चित किया जाएगा। – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	कार्यान्वित।

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–24

हज प्रबंधन

24.1 हज समिति अधिनियम, 2002 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संचालन सहित हज यात्रा के प्रबंधन से संबंधित कार्य 01 अक्तूबर, 2016 से विदेश मंत्रालय से हटाकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। तद्नुसार, हज संबंधी मामलों की देख–रेख करने हेतु मंत्रालय में संयुक्त सचिव (हज) की अध्यक्षता में एक पृथक प्रभाग स्थापित किया गया है। हज प्रभाग को चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर 24 पद भी अनुमोदित किए गए हैं।

24.2 यह मंत्रालय विदेश मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय हज समिति (एचसीओआई) तथा भारत के प्रधान कौंसलावास (सीजीआई), जेद्दा, सऊदी अरब के साथ तालमेल स्थापित करके हज संबंधी कार्यों का प्रबंध करता है। यह मंत्रालय भारतीय हज समिति, जो हज समिति अधिनियम, 2002 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है, से संबंधित मामलों की देख–रेख भी करता है, सीजीआई, जेद्दा के हज संबंधी प्रस्तावों को आवश्यक अनुमोदन प्रदान करता है, सीजीआई, जेद्दा में अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति पर प्रशासनिक एवं चिकित्सा/परा चिकित्सा अधिकारियों का चयन, हज दल आयोजकों (एचजीओ) का पंजीकरण तथा एचजीओ को हज कोटे के आबंटन आदि से संबंधित कार्य भी देखता है।

24.3 हज भारत सरकार द्वारा भारत की सीमाओं के बाहर संचालित किया जाने वाला सबसे बड़ा क्रियाकलाप है। हालांकि, यह केवल पांच दिवसीय धार्मिक समागम होता है, वास्तव में यह एक वर्ष की लम्बी प्रबंधकीय कबायद है। भारतीय हज यात्री हज करने वाले तीसरे विशालतम राष्ट्रीय समूह हैं। हज 2018 में, कुल 1,75,013 यात्रियों ने हज यात्रा की।

तथ्य और आंकड़े : हज 2018

भारत के तीर्थयात्रियों की संख्या	भारतीय हज समिति के तीर्थयात्रियों की कुल संख्या	128690
	एचजीओ हज यात्रियों की कुल संख्या	46323
	एचजीओ की संख्या	609
हज प्रबंधन हेतु सीजीआई, जेद्दा में प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ	समन्वयक	5 (1 महिला)
	सहायक हज अधिकारी	59
	हज सहायक	191 (12 महिलाएं)
	डाक्टर	170 (33 महिलाएं)
	पराचिकित्सक	174
	कुल	597
भारत से उड़ान संचालन	आगमन चरण	465
	प्रस्थान चरण	477

भारत में आरोहण स्थल,	प्रत्यक्ष–20	कुल – 20
मक्का, सऊदी अरब में किराये पर लिए गए भवनों की संख्या	हरित क्षेत्र में भवन	62(15,500 यूनिटें)
	अज़ीज़िया में भवन	3377(1,11,038 यूनिटें)
भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब में अस्थायी शाखाएं और डिस्पेंसरियां स्थापित की गई	मक्का शाखाएं – 14 डिस्पेंसरी – 14 अस्पताल – 40 बिस्तरों वाला – 30 बिस्तरों वाला – 10 बिस्तरों वाला	मदीना शाखाएं – 3 डिस्पेंसरी – 3 अस्पताल – 10 बिस्तरों वाली मुख्य डिस्पेंसरी
भारतीय चिकित्सा मिशन, सीजीआई, जेद्दा द्वारा संचालित ओपीडी एवं मोबाईल चिकित्सा दल विजिट मामले	3,82,288	

24.4 भारत सरकार हज यात्रा को उच्च प्राथमिकता देती है। सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि हज यात्रा से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाए तथा हज यात्रियों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। हज यात्रियों को बेहतर सुविधायें एवं सेवायें उपलब्ध कराने के लिए कई पहलें की गई हैं। इनमें भारतीय हज समिति को हज आवेदन का फार्म आनलाईन प्रस्तुत करने, तथा हज यात्रियों को ई–भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने; मक्का और मदीना के भवनों में हज यात्रियों हेतु सुविधाओं में सुधार; अजीजिया में ठहराए गए हाजियों के लिए परिवहन व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने; हज यात्रियों हेतु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने; उड़ानों के समय पर पहुंचने एवं रवानगी के कारगर प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए हाजियों के लिए हवाई यात्रा के प्रबंधों को सुप्रवाही बनाना; तीव्र एवं कारगर ऑनलाइन शिकायत प्रबंध प्रणाली; भारतीय हज यात्रियों के लिए सूचना वाले मोबाइल फोन एप्लीकेशन ''इंडियन हाज़ीज इंफोर्मेशन सिस्टम'' का प्रयोग; 24X7 हेल्पलाइन, समय पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु टॉल फ्री नंबर तथा वॉट्स ऐप तथा एसएमएस का उपयोग; वैकल्पिक आधार पर इस्लामिक डेवलेपमेंट बैंक के माध्यम से अदाही कूपन; भारतीय हज समिति के माध्यम से जा रहे हज यात्रियों के लिए मशाइर क्षेत्र में मेट्रो ट्रेन द्वारा यात्रा की व्यवस्था शामिल हैं।

24.5 मंत्रालय का यह प्रयास रहा है कि हज व्यवस्थाओं के लिए काफी अग्रिम में योजना बनाई जाए। तद्नुसार, पिछले हज के तुरंत पश्चात् अगले हज की तैयारियां आरंभ कर दी जाती हैं। हज 2019 के लिए भी मंत्रालय ने काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। हज समीक्षा बैठक का आयोजन 11.10.2018 को किया गया जिसमें हज 2018 की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई तथा अगले हज 2019 के लिए योजना अनुमोदित की गई। समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मक्का में ''हरित'' श्रेणी के आवास का नाम बदल कर ''नॉन कुकिंग नॉन ट्रांसपोर्ट ज़ोन'' (एनसीएनटीजेड) कर दिया जाए ताकि इसकी नामावली के संदर्भ में स्पष्टता आ सके। साथ ही, पहली बार हज यात्रियों को मदीना में आवास अर्थात ''मरकज़िया'' अथवा ''नॉन मरकज़िया'' का चयन करने का विकल्प दिया गया है। हज 2018–22 हेतु भारतीय हज समिति के हज यात्रियों के लिए नई हज नीति पहले से ही हज 2018 से कार्यान्वित कर दी गई है। हज 2019–23 हेतु निजी टूर ऑपरेटरों (पीटीओ)/हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर (एचजीओ) के लिए नई हज नीति अनुमोदित कर दी गई है जिसके आधार पर एचजीओ को पंजीकरण एवं हज कोटे के आबंटन के लिए प्रक्रिया आरंभ कर

दी गई है।

24.6 माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नक़वी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने वर्ष 1440एच (2019) हेतु भारतीय हज यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं एवं ज़रूरतों पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब राष्ट्र के हज एवं उमरा मंत्री के साथ 13 दिसंबर, 2018 को आयोजित द्विपक्षीय बैठक के लिए सऊदी अरब का दौरा किया। बैठक के दौरान भारत एवं सऊदी अरब के बीच हज 2019 का वार्षिक द्वि पक्षीय हज करार हस्ताक्षरित किया गया। करार के अनुसार, सऊदी अरब सरकार ने 1,75,025 हज यात्रियों का कोटा आबंटित किया है। सऊदी अरब के युवराज के फरवरी 2019 में भारत दौरे के दौरान, भारत के हज यात्रियों का कोटा बढ़ाकर 200,000 हज यात्री करने पर सहमति जताई गई। हज 2019 के लिए 200,000 हज यात्रियों का भारतीय हज कोटा बढ़ाने के संबंध में किंगडम सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री की ओर से पुष्टि पत्र भी प्राप्त हो गया है। हज 2019 हेतु कुल कोटे में से, 1,40,000 सीटें भारतीय हज समिति को तथा 60,000 सीटें प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गनाइजर्स को आबंटित की गई हैं।

24.7 हज 2018–22 के लिए नई हज नीति में की गई मुख्य पहलें तथा हज 2018 के दौरान की गई पहलें

पहली बार, सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को ''मेहरम'' (पुरुष साथी) के बगैर हज यात्रा पर जाने के लिए अनुमति प्रदान की। हज 2018 के लिए कुर्रा के बगैर चयनित ऐसी 1308 महिला हज यात्रियों में से 1171 महिलाओं ने हज 2018 के दौरान हज यात्रा की।

पहली बार, व्यक्तिगत यात्रियों के लिए हज यात्रा की कीमत कम करने के लिए निकटतम किफायती आरोहण स्थल के लिए विकल्प दिया गया है। हज यात्रियों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर, हज 2018 के दौरान 20 आरोहण स्थल संचालित किए गए।

- महिला हज यात्रियों की सुविधा के लिए, हज 2018 हेतु प्रशासनिक दल में एक महिला समन्वयक तथा हज सहायक को शामिल करने की पहल की गई।
- चौथी बार के आवेदनकर्ताओं के लिए आरक्षित कोटा समाप्त कर दिया गया है, जिससे सामान्य श्रेणी के हज यात्रियों के लिए सीटें और अधिक बढ़ गई हैं। इसके परिणामस्वरूप, अधिकतर राज्यों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- छोटे राज्यों की उनके हज कोटे को बढ़ाने की मांग मान ली गई है। उन राज्यों को कोटे के आबंटन के लिए नई हज नीति में प्रावधान किया गया है जिन्हें लगभग 500 आवेदन प्राप्त होते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए भी विशेष कोटे की सीटे बढ़ाकर 2000 कर दी गई हैं।
- भारतीय हज समिति द्वारा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हज आवेदन शुरू किए गए हैं और हज आवेदनों की कुल संख्या के 50% से अधिक आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप हज आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है और हज तीर्थयात्रियों को अधिक सुविधा मिली है।
- हज ग्रुप ऑर्गनाइजर्स के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। एचजीओ द्वारा पेश किए जा रहे हज पैकेज़ों के लिए नई वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए एचजीओ के बीच स्पर्धा को बढ़ाने के लिए पहल की गई। वेबसाइट से लोगों को एचजीओ की सेवाओं और उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के आधार पर एचजीओ का व्यापक विकल्प प्राप्त हुआ है।

- हज 2018 के लिए सीजीआई, जेद्दा को उपलब्ध कराई गई औषधियों/चिकित्सीय उपकरणों की गुणवत्ता की सराहना की गई है। हज 2018 हेतु, विगत वर्ष के दौरान 3.14 करोड़ रु. की तुलना में हज यात्रियों हेतु 5.08 करोड़ रु. के मूल्य की औषधियां उपलब्ध कराई गईं।
- सीजीआई, जेद्दा द्वारा भारतीय हज यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली चिकित्सीय सुविधाओं को सुप्रवाही बनाया गया है। उपलब्ध कराई जाने वाली चिकित्सीय सुविधाओं के सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लिए सीजीआई, जेद्दा को आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर एवं उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
- बेहतर प्रणाली की वजह से सऊदी अरब में ओपीडी मामलों में कमी आई है तथा मौतों की कुल संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है।

भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय वार्षिक हज 2019 करार पर हस्ताक्षर किए गए।
सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री माननीय डॉ. मोहम्मद सालेह-बिन-ताहेर बेनटेन के साथ जेद्दा में

हज यात्रियों के पहले बैच को उनकी सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए देशभर की दुआओं सहित
ताज टर्मिनल, नई दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना किया गया।

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–25

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

25.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ख) के उपबंधों के अनुसार, इस मंत्रालय ने सभी संगत सूचना अर्थात् मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य और कर्त्तव्य, मंत्रालय में उपलब्ध अभिलेख और दस्तावेज आदि को आम जनता की सूचना और मार्गदर्शन के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर अपलोड किया है। इसमें, मंत्रालय और इसके विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी सूचना उपलब्ध करायी गई है।

25.2 बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के तहत प्राप्त उपलब्धियों के आंकड़े तथा इन योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को मंत्रालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रदर्शित कर दिया जाता है और अद्यतित किया जाता है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत, राज्य सरकारें छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों के नामों की सूचियां अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती हैं जिसके लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर हाइपर लिंक उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र पूर्ण हुए और चल रहे कार्यों के फोटोग्राफ प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है। मंत्रालय की अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित लाभार्थियों की शंकाओं के समाधान और सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन भी है।

25.3 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस अधिनियम के अंतर्गत तेरह (13) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों और आठ (8) प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित किया है। वर्ष 2018–19 में (31 मार्च, 2019 तक) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 763 आरटीआई आवेदन और 87 अपीलें ऑनलाइन प्राप्त हुईं थीं।

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–26

सरकारी लेखा–परीक्षा

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में नीचे दिए गए अनुसार दो लेखा परीक्षा पैरे शामिल किए गए हैं।

क्र.सं	पैरा सं.	पैरा का शीर्षक	स्थिति
1	2017 की रिपोर्ट सं. 44 का 2.4. 4.4 (ख) (अनुलग्नक 2.6, क्र.सं. 8) – संघ सरकार के लेखे (2016–17)	सरकारी सेवकों को दिए गए ऋण और अग्रिम	लेखा परीक्षा से पुनरीक्षित टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
2	2019 की रिपोर्ट सं. 2 का 2.7 (घ) (क्र.सं. 6, तालिका 2.6) (वित्तीय लेखापरीक्षा)	सरकारी निवेश के प्रतिशत को दर्शाने में हुई विसंगतियां	लेखा परीक्षा से पुनरीक्षित टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–27

स्वच्छ भारत मिशन

27.1 भारत को 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ बनाने एवं खुले में शौच से मुक्त करने के उद्देश्य से, माननीय प्रधानमंत्री ने इच्छा व्यक्त की है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को कैलेंडर वर्ष में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित करना चाहिए।

27.2 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया कि सरकार महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए एक जन आंदोलन के अंतर्गत 15 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2018 के पखवाड़े के दौरान ''स्वच्छता ही सेवा'' अभियान चला रही है। मंत्रालय ने इस अभियान में भाग लिया और ऐसी सभी पुरानी अस्थायी फाइलों, पत्रिकाओं, रिकार्डों इत्यादि की छंटाई का कार्य किया जिनकी आवश्यकता नहीं थी।

27.3 मंत्रालय ने दिनांक 16 दिसंबर, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 की अवधि के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया और पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए:–

- मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में 17 दिसंबर, 2018 को पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ परिसर में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई। कर्मचारियों को विभिन्न दलों में विभाजित किया गया जिन्होंने कार्यालय ब्लॉक के इर्द–गिर्द के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया। श्री एस.के. देव वर्मन, अपर सचिव ने अधिकारियों/कर्मचारियों को संबोधित किया और उन्हें पखवाड़े के उपरांत भी स्वच्छता अभियान जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

- कार्यक्रम के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय द्वारा 17 दिसंबर, 2018 को स्वच्छता पखवाड़े पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंत्रालय और मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। प्रतिभागियों ने रोजमर्रा के जीवन में स्वच्छता के महत्व और इसके सामान्य सकारात्मक प्रभावों पर रोशनी डाली।

- मंत्रालय के अधिकारियों की पांच टीमों ने 19 दिसंबर, 2018 से 26 दिसंबर, 2018 की अवधि के दौरान गुरुद्वारा बालासाहिब, उत्तर स्वामीमलय मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, फतेहपुरी मस्जिद और छत्तरपुर मंदिर का दौरा किया और प्रबंधन एवं एमसीडी स्टाफ के साथ संबंधित परिसरों में और उनके इर्द–गिर्द सफाई का कार्य किया।

27.4 यह मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को लक्ष्यित तारीख के भीतर जमीनी स्तर पर दिखाई देने वाले परिवर्तन के रूप में मन, वचन और कर्म से सफल बनाने के लिए तथा इस क्षेत्र में असर पैदा करने के लिए इस पहल को जारी रखने के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है।

◆◆◆◆◆◆◆

''मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान''

''मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान''

''मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान''

अध्याय–28

ई–आफिस का कार्यान्वयन

28.1 ई–आफिस का कार्यान्वयन 'डिजिटल इंडिया प्रोग्राम' के अंतर्गत मिशन मोड परियोजना है। डीएआरपीजी सभी मंत्रालयों के ई–आफिस के कार्यान्वयन की प्रगति को लगातार मॉनीटर कर रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने भी इस कार्यक्रम को अपनाने पर विचार किया है।

28.2 इस मंत्रालय में ई–आफिस का शुभारंभ 12 दिसम्बर, 2016 को किया गया था। अब मंत्रालय के सभी प्रभाग ई–आफिस में कार्य कर रहे हैं। नोटिस भी ई–आफिस के माध्यम से लगाए जाते हैं। ई–आफिस के अधीन कार्य–निष्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:–

ई–आफिस (ई–फाइल) सांख्यिकी रिपोर्ट समेकित आंकड़ा 31.03.2019 के अनुसार					
क्र. सं.	**मंत्रालय/विभाग का नाम**	**सृजित ई–फाइलें**		**सृजित ई–रसीदें**	**ट्रैक की गई वास्तविक रसीदें**
		सक्रिय ई–फाइलें	**बंद ई–फाइलें**		
1	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	5,164	1	28,464	71,419

◆◆◆◆◆◆◆

अध्याय–29

नागरिक/ग्राहक का चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

29.1 मंत्रालय के वर्ष 2013–14 के नागरिक/ग्राहक चार्टर जो सेवोत्तम अनुपालक हैं तथा एक अनिवार्य अपेक्षा है, तैयार किया गया था और मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर दिनांक 29 मई, 2014 को अपलोड कर दिया गया था।

29.2 मंत्रिमंडल सचिवालय के निष्पादन प्रबंधन प्रभाग के शिकायत निपटान तंत्र हेतु सीपीग्राम्स लिंक को दर्शाने वाला स्क्रीन शॉट मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

29.3 मंत्रालय का प्रयास रहा है कि शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जाए।

◆◆◆◆◆◆◆

अनुलग्नक–I

31.03.2019 के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का पदधारिता विवरण

क्र.सं.	पद/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन/ग्रुप	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	सचिव ग्रुप 'ए' – मैट्रिक्स लेवल 17	01	01	00
2.	अपर सचिव ग्रुप 'ए' – मैट्रिक्स लेवल 16	01	01	00
3.	संयुक्त सचिव ग्रुप 'ए' – मैट्रिक्स लेवल 14	03	03	00
4.	उप महानिदेशक ग्रुप 'ए' – मैट्रिक्स लेवल 14	01	01	00
5.	निदेशक/उप सचिव ग्रुप 'ए' – मैट्रिक्स लेवल 13/12	13	12	01
6.	संयुक्त निदेशक ग्रुप 'ए' – मैट्रिक्स लेवल 12	01	01	00
7.	अवर सचिव ग्रुप 'ए' – मैट्रिक्स लेवल 11	13	13	00
	उप निदेशक ग्रुप 'ए' – मैट्रिक्स लेवल 11	01	01	00
8.	सहायक निदेशक ग्रुप 'ए' – मैट्रिक्स लेवल 10	03	01	02
9.	अनुसंधान अधिकारी ग्रुप 'ए' – मैट्रिक्स लेवल 10	01	01	00
10.	सहायक निदेशक (राजभाषा) ग्रुप 'ए' – मैट्रिक्स लेवल 10	01	01	00
11.	अनुभाग अधिकारी ग्रुप 'बी' – मैट्रिक्स लेवल 8	19	03	16
12.	पीएसओ/वरिष्ठ पीपीएस ग्रुप 'ए' – मैट्रिक्स लेवल 13/12	02	01	01
13.	प्रधान निजी सचिव ग्रुप 'ए' – मैट्रिक्स लेवल 11	06	05	01
14.	सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रुप 'बी' (अरा.) – मैट्रिक्स लेवल 7	14	18	(–) 4
15.	वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक ग्रुप 'बी' (अरा.) – मैट्रिक्स लेवल 6	04	02	02
16.	वरिष्ठ अन्वेषक ग्रुप 'बी' (अरा.)– मैट्रिक्स लेवल 6	04	00	04
17.	लेखाकार ग्रुप 'बी' (अरा.) – मैट्रिक्स लेवल 6	01	00	01
18.	निजी सचिव ग्रुप 'बी' (अरा.) – मैट्रिक्स लेवल 8	07	06	01
19.	आशुलिपिक ग्रेड 'सी'/पीए ग्रुप 'बी' (अरा.) – मैट्रिक्स लेवल 7	07	01	06
20.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ग्रुप 'बी' (अरा.) – मैट्रिक्स लेवल 7	01	01	00
21.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ग्रुप 'बी' (अरा.) – मैट्रिक्स लेवल 6	03	01	02
22.	आशुलिपिक ग्रेड 'डी' ग्रुप 'सी' (अरा.) – मैट्रिक्स लेवल 4	09	05	04

23.	स्टाफ कार चालक ग्रुप 'सी' – मैट्रिक्स लेवल 2	02	02	00
24.	एमटीएस ग्रेड/जी.पी. ग्रुप 'डी'– मैट्रिक्स लेवल 1	14	07	07
25.	सहायक निदेशक (उर्दू) ग्रुप 'बी'–मैट्रिक्स लेवल 10	01	00	01
26.	वरिष्ठ अनुवादक (उर्दू) ग्रुप 'बी' (अरा.) – मैट्रिक्स लेवल 7	01	00	01
27.	टाइपिस्ट (उर्दू) ग्रुप 'सी' – मैट्रिक्स लेवल 2	01	00	01
	योग	135	88	47

◆◆◆◆◆◆◆

अनुलग्नक–II

संगठनात्मक चार्ट

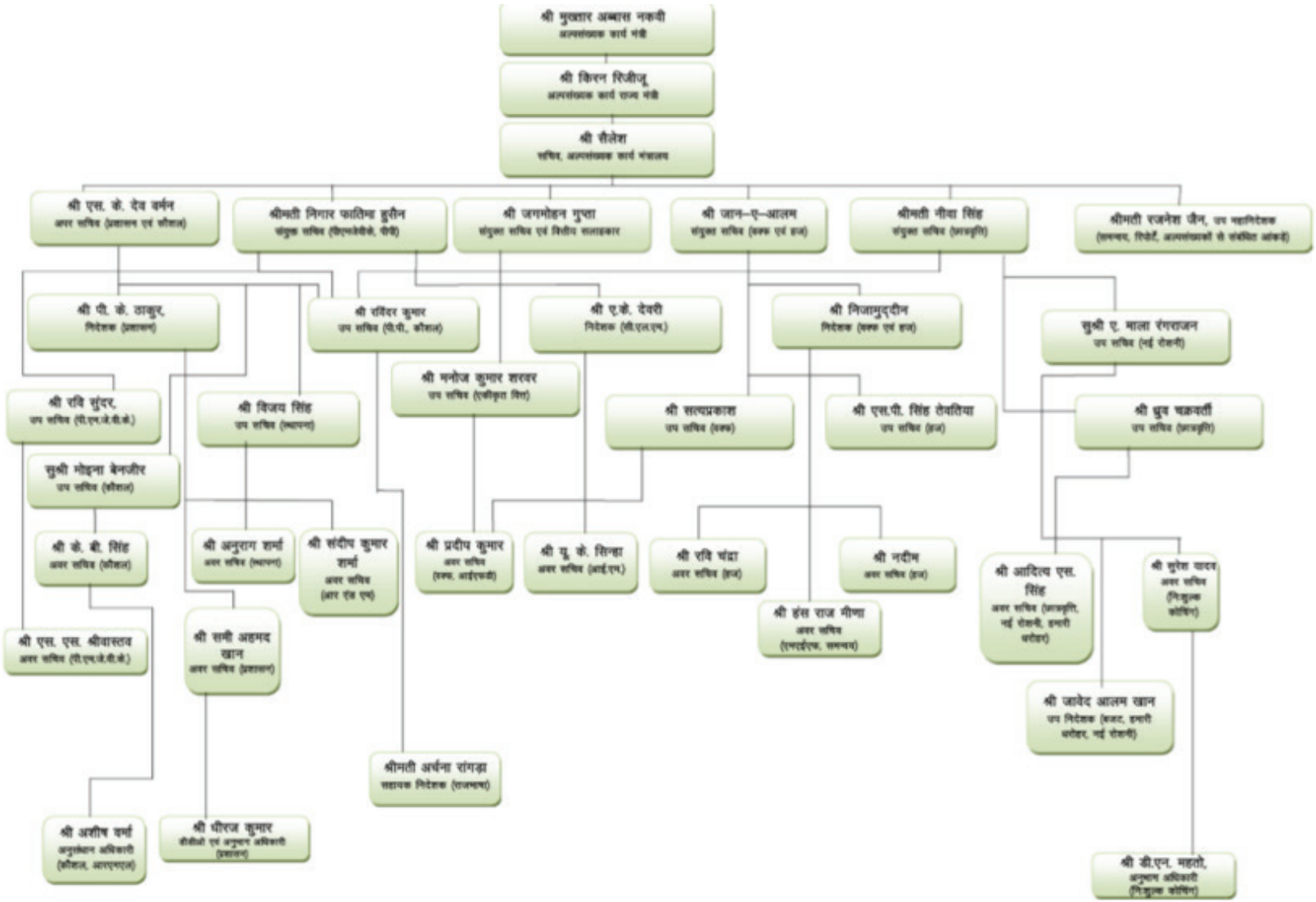

अनुलग्नक–III

योजना/कार्यक्रम–वार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान 2018–19, वास्तविक व्यय तथा बजट अनुमान 2019–20 दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु0 में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2018–19	संशोधित अनुमान 2018–19	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2019–20 (अनंतिम)
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान	125.01	123.76	36.00	70.00
2	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	74.00	74.00	44.61	125.00
3	एनएमडीएफसी को इक्विटी अंशदान	165.02	165.03	170.00	60.00
4	अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं का प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी एवं मूल्यांकन	55.00	55.00	52.60	60.00
5	एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	2.00	2.00	2.00	2.00
6	अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की योजना	15.00	17.00	13.83	21.00
7	अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	153.00	153.00	97.85	155.00
8	कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना तथा शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (पूर्व में रिकॉर्डों का कंप्यूटरीकरण तथा वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण एवं वक्फ को सहायता अनुदान)	20.10	20.10	15.05	20.66
9	विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता	24.00	45.00	45.00	30.00
10	लघु अल्पसंख्यकों की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	4.00	4.00	4.00	4.00
11	कौशल विकास पहल	250.00	250.00	175.73	250.00
12	यूपीएससी, एसएससी, राज्य पीएससी आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए सहायता	8.00	8.00	6.72	10.00

13	स्नातक–पूर्व एवं स्नातकोत्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	522.00	402.00	261.17	506.00
14	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	980.00	1269.00	1176.19	110.00
15	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	692.00	500.00	354.89	530.00
16	अल्पसंख्यकों के लिए चयनित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पूर्व में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में ज्ञात	1320.00	1320.00	1156.07	1431.36
17	विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल एवं प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)	30.00	50.00	31.26	50.00
18	हमारी धरोहर	8.00	8.00	1.64	8.00
19	नई मंजिल	140.00	120.00	93.73	140.00
20	सचिवालय	19.14	20.01	28.16	21.38
21	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	8.62	8.92	8.93	9.30
22	भाषायी अल्पसंख्यक आयोग	2.32	1.90	1.69	2.30
23	हज पर व्यय	84.79	85.29	73.39	94.00
	सकल योग	**4700.00**	**4700.00**	**3853.01**	**4700.00**

◆◆◆◆◆◆◆

अनुलग्नक–IV

क्र. सं.	राज्य	2007–08 से 2017–18		2018–19		शुरूआत से	
		कुल अनुमो. दित परियोजनाओं का मूल्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई कुल राशि	कुल अनुमो. दित परियोजनाओं का मूल्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई कुल राशि	कुल अनुमो. दित परियोजनाओं का मूल्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई कुल राशि
							करोड़ रु0 में
1	उत्तर प्रदेश	2529.06	2033.47	590.58	376.53	3119.64	2410.00
2	पश्चिम बंगाल	2666.42	2216.66	227.21	269.67	2893.63	2486.33
3	असम	1879.98	1244.45	102.59	45.43	1982.56	1289.88
4	बिहार	1177.56	863.63	70.08	73.71	1247.64	937.34
5	मणिपुर	551.87	358.47	95.08	61.59	646.95	420.06
6	हरियाणा	144.00	98.26	0.00	1.50	144.00	99.76
7	झारखंड	318.90	269.78	0.00	0.32	318.90	270.10
8	उत्तराखंड	128.23	117.71	2.27	13.58	130.50	131.29
9	महाराष्ट्र	169.23	114.30	2.28	0.81	171.51	115.11
10	कर्नाटक	294.81	200.95	100.15	73.94	394.96	274.89
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	12.43	2.83	0.00	2.86	12.43	5.70
12	ओडिशा	98.41	65.11	33.30	22.85	131.71	87.96
13	मेघालय	59.62	56.46	22.15	6.64	81.77	63.10
14	केरल	70.77	56.72	17.91	17.32	88.69	74.04
15	मिजोरम	59.43	55.97	4.25	1.27	63.68	57.24
16	जम्मू एवं कश्मीर	30.70	26.01	0.00	0.00	30.70	26.01
17	दिल्ली	24.27	20.77	0.00	0.00	24.27	20.77
17	मध्य प्रदेश	36.91	31.47	0.00	0.00	36.91	31.47
18	सिक्किम	44.23	32.16	30.41	12.53	74.64	44.69
19	अरूणाचल प्रदेश	361.62	299.63	2.09	15.50	363.71	315.13
20	आंध्र प्रदेश	180.99	102.15	44.23	30.08	225.22	132.23
21	तेलंगाना	182.71	91.28	122.52	61.26	305.23	152.54
22	त्रिपुरा	163.29	150.81	15.08	12.22	178.38	163.03
23	पंजाब	28.26	21.36	9.09	3.67	37.36	25.03
24	राजस्थान	191.73	140.53	60.26	50.36	252.00	190.89
25	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	छत्तीसगढ़	33.52	23.54	0.00	0.00	33.52	23.54
27	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**11438.97**	**8694.46**	**1551.54**	**1153.65**	**12990.51**	**9848.11**

अनुलग्नक-V

2008–09 से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा (संख्या में)

क्र. सं.	राज्य		डिग्री कॉलेज	स्कूल भवन	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	छात्रावास	स्कूल में कंप्यूटर	स्कूलों में शौचालय एवं पेयजल	शिक्षण सामग्री/ स्मार्ट क्लास उपकरण	आई. टीआई भवन	पॉली टेक्नीक	कुल स्वास्थ्य	आंगड़वाड़ी केंद्र	हैंड पंप	पेयजल सुविधा	पक्का मकान	सद्भाव मंडप	आवासीय स्कूल	मार्केट शेड	अलग शौचालय यूनिट/ ब्लॉक	काम काजी महिला छात्रावास
1	उत्तर प्रदेश	यू.एस.	19	514	1217	44	112	2074	2अज153	85	27	1070	11342	23627	1139	85054	30	0	1	24	0
		यू.सी.	0	67	705	16	0	908	0	11	1	726	8771	15241	65	74377	0	0	0	0	0
		यू.डी.	2	8	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	1	122	264	14	0	18	6	46	23	135	1040	353	119	3359	0	0	0	0	0
2	पश्चिम बंगाल	यू.एस.	0	109	18333	311	389	1268	219	39	9	1091	13828	9462	8231	62812	151	0	116	346	0
		यू.सी.	0	101	11367	195	381	471	40	31	7	983	11024	8526	7126	60909	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	7	715	47	8	291	0	6	2	108	1082	936	974	2604	0	0	0	0	0
3	असम	यू.एस.	0	254	9543	121	0	814	1644	15	1	370	3173	19935	645	89836	59	21	350	0	0
		यू.सी.	0	1	2227	34	0	144	0	5	0	129	1315	8805	26	56282	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	39	3660	25	0	4	0	10	1	214	722	271	519	2516	0	0	0	0	0
4	बिहार	यू.एस.	0	366	5388	85	0	1416	0	3	3	824	4965	2582	154	41287	65	1	2	80	0
		यू.सी.	0	110	1952	35	0	420	0	1	1	201	1474	2083	134	21805	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	102	1008	25	0	79	0	0	0	197	733	201	0	7897	15	0	0	0	0
5	मणिपुर	यू.एस.	0	553	292	93	0	46	0	1	0	217	107	708	6	7653	41	7	1	0	0
		यू.सी.	0	199	0	1	0	0	0	0	0	70	60	422	0	5940	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	177	0	12	0	0	0	1	0	82	15	224	0	0	0	0	0	0	0
6	हरियाणा	यू.एस.	0	10	575	7	0	71	0	2	1	26	291	0	178	2000	6	0	0	0	0
		यू.सी.	0	6	123	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	2000	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	8	32	0	0	0	0	0	0	6	0	19	0	0	0	0	0	0	0
7	झारखंड	यू.एस.	0	8	398	21	0	25	1	11	3	297	1746	0	6	10410	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	3	0	0	0	1	1	0	173	1021	0	0	8764	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	32	12	0	0	0	4	1	54	252	0	0	650	0	0	0	0	0
8	उत्तराखंड	यू.एस.	4	18	79	3	0	19	0	6	2	30	467	1490	7	0	8	0	0	0	0
		यू.सी.	2	3	6	2	0	0	0	4	2	3	412	1173	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	12	0	0	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	1	10	60	1	0	14	0	2	0	14	51	0	6	0	3	0	0	0	0
9	महाराष्ट्र	यू.एस.	0	6	384	23	0	141	0	2	1	25	708	0	0	11670	2	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	10471	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	148	0	0	1028	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	यू.एस.	0	66	244	102	0	79	1073	0	0	45	368	0	50	5900	13	28	0	0	1
		यू.सी.	0	34	159	33	0	43	464	0	0	36	367	0	6	4227	3	6	0	0	0
		यू.डी.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	21	33	39	0	19	0	0	0	3	0	0	6	173	5	5	0	0	0
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	यू.एस.	0	0	0	0	0	0	25	1	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ओडिशा	यू.एस.	0	0	194	26	10	64	0	6	0	33	296	1	34	10037	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	61	0	0	64	0	2	0	15	151	0	0	7594	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	50	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	मेघालय	यू.एस.	0	2	100	12	0	404	0	0	0	31	102	1864	706	6204	0	1	0	0	0
		यू.सी.	0	1	54	6	0	0	0	0	0	17	81	1864	426	5000	0	0	0	0	0
		यू.सी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	1	12	6	0	0	0	0	0	5	0	0	154	0	0	0	0	0	0
14	केरल	यू.एस.	0	57	199	0	0	0	0	0	1	32	0	3	16	0	0	0	2	13	3
		यू.सी.	0	0	38	0	0	0	0	0	1	10	0	3	12	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	4	112	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
15	मिजोरम	यू.एस.	0	38	88	10	60	33	0	2	0	27	245	24	26	2758	2	0	0	0	0
		यू.सी.	0	17	36	5	0	0	0	0	0	16	158	10	0	2480	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		डब्ल्यूआईपी	0	0	35	0	0	0	0	2	0	1	6	14	0	0	0	0	0	0	0
16	जम्मू एवं कश्मीर	यू.एस.	0	0	44	10	0	0	0	1	1	4	104	132	0	0	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	8	33	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	12	8	0	0	0	0	0	0	82	89	0	0	0	0	0	0	0
17	दिल्ली	यू.एस.	0	2	104	0	0	19	0	1	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	2	100	0	0	12	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	4	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	यू.एस.	0	3	4	7	0	1	0	0	0	0	224	0	0	1000	4	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	138	0	0	876	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	102	0	0	0	0	0
19	सिक्किम	यू.एस.	0	18	38	9	0	0	500	0	1	3	56	4	0	502	2	0	0	0	0
		यू.सी.	0	6	9	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	307	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	5	24	4	0	0	0	0	1	3	5	0	0	195	1	0	0	0	0
20	अरूणाचल प्रदेश	यू.एस.	0	110	661	246	0	50	10	0	0	63	646	0	270	7184	12	0	0	0	0
		यू.सी.	0	49	280	107	0	2	5	0	0	33	557	0	0	5829	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	4	140	18	0	42	5	0	0	0	11	0	258	430	0	0	0	0	0
21	आंध्र प्रदेश	यू.एस.	0	14	230	13	0	0	0	4	0	2	223	0	0	0	6	8	0	0	0
		यू.सी.	0	6	5	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	154	0	0	0	1	1	0	0	0
22	तेलंगाना	यू.एस.	0	5	133	49	0	5	27	3	0	9	50	0	0	0	0	16	0	0	0
		यू.सी.	0	2	67	2	0	0	15	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	1	64	17	0	5	12	2	0	9	44	0	0	0	0	13	0	0	0
23	त्रिपुरा	यू.एस.	1	29	424	10	90	0	0	0	0	30	0	0	223	4294	0	10	0	0	0
		यू.सी.	0	29	130	7	0	0	0	0	0	22	0	0	223	1750	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	47	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	2546	0	0	0	0	0
24	पंजाब	यू.एस.	0	6	95	0	19	0	4	0	0	10	451	0	0	23	5	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	33	0	6	0	4	0	0	0	148	0	0	23	0	0	0	0	0
25	राजस्थान	यू.एस.	2	30	1357	13	0	36	0	6	0	89	159	0	0	0	5	0	0	30	0
		यू.सी.	2	17	727	2	0	16	0	4	0	62	76	0	0	0	2	0	0	0	0
		यू.डी.	0	3	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	10	452	8	0	9	0	2	0	13	11	0	0	0	2	0	0	0	0
26	गुजरात	यू.एस.	4	5	631	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	छत्तीसगढ़	यू.एस.	0	23	333	15	203	68	0	0	0	176	0	0	76	0	0	0	58	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	यू.एस.	30	2246	41088	1230	883	6657	5656	188	50	4509	39586	59834	11767	348624	411	92	530	493	4
		यू.सी.	4	650	18059	458	381	2080	537	61	12	2498	26176	38162	8018	268611	5	6	0	0	0
		यू.डी.	2	12	15	0	0	3	6	1	1	18	40	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	2	512	6789	250	14	487	40	80	28	855	4539	2107	2039	21523	27	19	0	0	0

यू.एस.: संस्वीकृत यूनिट, यू.सी.: पूर्ण की गई यूनिट, यू.डी.: छोड़ी गई यूनिट, डब्ल्यूआईपी: कार्य प्रगति पर

◆◆◆◆◆◆◆

अनुलग्नक–VI

क्र. सं.	राज्य		डिग्री कॉलेज	स्कूल भवन	अति. रिक्त कक्षा–कक्ष	छात्रा. वास	स्कूल में कंप्यूटर	स्कूलों में शौचा लय एवं पेयजल	शिक्षण सामग्री/ स्मार्ट क्लास उपकरण	आई. टीआई भवन	पॉलीटे. क्नीक	कुल स्वास्थ्य	आंगड़ वाड़ी केंद्र	हैंड पंप	पेयजल सुविधा	सद्भाव मंडप	आवा. सीय स्कूल	मार्केट शेड	शौचालय	हुनर हब	काम. काजी महिला छात्रावास
1	उत्तर प्रदेश	यू.एस.	9	189	4	8		33	1581	17	2		85		820	12		1	24		2
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	पश्चिम बंगाल	यू.एस.			2593	13		78					703						346		
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	यू.एस.				1			1628							43		30			
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	यू.एस.		25	687	2						58				6		2	80		
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	मणिपुर	यू.एस.		8		14										16		1			
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	हरियाणा	यू.एस.																			
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	झारखंड	यू.एस.																			
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	उत्तराखंड	यू.एस.													1						
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	महाराष्ट्र	यू.एस.														2					
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	यू.एस.		2		14			609								11				1
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	यू.एस.																			
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ओडिशा	यू.एस.				21															
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	मेघालय	यू.एस.															1			1	
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.सी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	केरल	यू.एस.		11														2	13		3
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	मिजोरम	यू.एस.														2					
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16	जम्मू एवं कश्मीर	यू.एस.																			
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	दिल्ली	यू.एस.																			
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	यू.एस.																			
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	सिक्किम	यू.एस.		7		5			500							1					
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	अरूणाचल प्रदेश	यू.एस.																			
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	आंध्र प्रदेश	यू.एस.		1		3				1							3				
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	तेलंगाना	यू.एस.				2											10				
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	त्रिपुरा	यू.एस.		6	22																
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	पंजाब	यू.एस.			28			2				2	45			5					
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	राजस्थान	यू.एस.	4	5	631			24								1			30		
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	गुजरात	यू.एस.																			
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	छत्तीसगढ़	यू.एस.																			
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	यू.एस.	13	254	3965	83	0	137	4318	18	2	60	833	0	821	88	25	36	493	1	6
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.डी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

यू.एस.: संस्वीकृत यूनिट, यू.सी.: पूर्ण की गई यूनिट, यू.डी.: छोड़ी गई यूनिट, डब्ल्यूआईपी: कार्य प्रगति पर

◆◆◆◆◆◆◆

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संगठन :-

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम), नई दिल्ली
2. केन्द्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी), नई दिल्ली
3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), नई दिल्ली
4. राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको), नई दिल्ली
5. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ), नई दिल्ली
6. दरगाह ख्वाजा साहेब (डीकेएस), अजमेर
7. आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक (सीएलएम), नई दिल्ली

Shri Ganesh Associates Mob.: 9810096326